छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी. इस्टेट, खम्हारडीह, शंकरनगर, रायपुर - 492007

पंजीयन क्रमांक. 225 दिनांक 31.10.2000

ग्यारहवीं वार्षिक साधारण सभा

दिनांक : 26 मार्च 2011

समय : दोपहर 2.30 बजे

कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित
ए-25 व्ही.आई.पी.इस्टेट, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़)-492007
दूरभाषः (0771) 4065100 से 4065110 तक फैक्स : 2283594
E-mail : cgmfpfed@sancharnet.in Website : www.cgmfpfed.org

क्रमांक/वनो/सह./2011/3820 रायपुर दिनांक 15/03/2011

प्रति,

1. **माननीय श्री मुरारीलाल सिंह, अध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर
2. **श्री संगेसिंग वट्टी, उपाध्यक्ष,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, ग्राम पो धनेसरा, तह. नरहरपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छ.ग.
3. **श्रीमती ब्रम्हानी चन्द्राकर, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, ग्राम अछोली, पो अछोली, पो. आमगांव, तह. छुरिया, जिला राजनांदगांव, छ.ग.
4. **श्री रूपनारायण पाण्डेय, संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, ग्राम मुड़ीझरिया, पो मुड़ीझरिया, पो. पतरापाली,तह. बैकुण्ठपुर, जिला कोरिया, छ.ग.
5. **श्री पुनीत राम सिन्हा,** संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर, ग्राम- छेल डोगरी, पो डोगरी, पो. गोहरापदर, थाना व तह. मैनपुर, जिला रायपुर
6. **कार्यकारी संचालक,** भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित, एन.सी.यू.आई, बिल्डिंग दूसरी मंजिल 3, सीरी इन्स्टीट्यूशनल एरिया, अगस्त क्रांति मार्ग, नई दिल्ली - 110016
7. **संचालक,** आदिम जाति कल्याण मंत्रालय, जनजातीय कार्य मंत्रालय, रूम नं. एफ-280, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी काम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110016
8. **अपर मुख्य सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
9. **प्रमुख सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
10. **प्रधान मुख्य वन संरक्षक,** छत्तीसगढ़, रायपुर.
11. **सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, रायपुर
12. **पंजीयक,** सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, रायपुर.
13. **मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)** छत्तीसगढ़, रायपुर.
14. **सुश्री अल्पना घोष, उप सचिव,** छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर.
15. **प्रबंध संचालक,** छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर.

16. **श्री बलभद्र सिंह ठाकुर,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायपुर, **संघ प्रतिनिधि,**
पता-ग्राम बरपानी, पो.सोनपुर व्हाया सांकरा जोंक, जिला रायपुर

17. **श्री रामनारायण,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व रायपुर, **संघ प्रतिनिधि,**
पता- ग्राम व पोस्ट फिंगेश्वर, तह.राजिम जिला रायपुर

18. **श्री रविशंकर गोड़,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुंद, **संघ प्रतिनिधि,**
पता- ग्राम डोंगरीपाली, पोस्ट छोटे लोरम, जिला महासमुंद

19. **श्री आलोक सिन्हा,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, **संघ प्रतिनिधि,**
पता- ग्राम व पोस्ट नगरी, जिला धमतरी

20. **श्री तीजम सिंह मरावी**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर, **संघ प्रतिनिधि,**
पता- ग्राम ठरकपुर, पोस्ट खम्परिया, जिला बिलासपुर

21. **श्री दयाल सिंह यादव,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, मरवाही, **संघ प्रतिनिधि,**
पता- ग्राम करगीखुर्द, पोस्ट जोगीसार, जिला बिलासपुर

22. **श्री नृपत सिंह राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़, **संघ प्रतिनिधि,**
पता- ग्राम-बैहामुड़ा, पो बैहामुड़ा, तह.घरघोड़ा, जिला रायगढ़

23. **श्रीमती मानकुंवर राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़, **संघ प्रतिनिधि,**
पता- ग्राम बरतापाली, पोस्ट गेरसा, तहसील धरमजयगढ़, जिला रागयढ़

24. **श्री अक्षय कुमार अग्रवाल,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा, **संघ प्रतिनिधि,**
पता- ग्राम लखनपुर, पोस्ट सुतर्रा, तह.कटघोरा, जिला कोरबा

25. **श्री उधोराम कश्यप,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा, **संघ प्रतिनिधि,**
पता- मु.सण्डैल, पो.सरगबुंदिया, जिला कोरबा

26. **श्री चुन्नीलाल साहू,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर चांपा, **संघ प्रतिनिधि,**
पता- मुकमा पोस्ट खिसोरा, थाना बलौदा, तहसील व जिला जांजगीर चांपा

27. **श्री गंगाराम ठाकुर,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दुर्ग, **संघ प्रतिनिधि,**
पता- ग्राम कंजेली, तहसील बालोद, जिला दुर्ग

28. **श्री मोतीराम उईके,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़, **संघ प्रतिनिधि,**
पता- ग्राम खमपुरा, पो.बोरतालाब, तह.डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव

29. **श्री पंचराम ध्रुर्वे,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा, **संघ प्रतिनिधि,**
पता- ग्राम व पोस्ट कुकदुर, तहसील पण्डरिया, जिला कबीरधाम

30. **श्री केदारनाथ साहिनी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जगदलपुर, **संघ प्रतिनिधि,**
पता- ग्राम माड़पार, तहसील कुरन्दी, जिला बस्तर

31. **श्री कवासी रमेश,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा, **संघ प्रतिनिधि,**

पता- ग्राम व पोस्ट रामाराम तह.कोंटा, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा

32. **श्री नीलम गनपत,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर, **संघ प्रतिनिधि,**
पता- ग्राम-गुलापेटा, पोस्ट चंदनगिरी, तह. भोपालपटनम, जि.-बीजापुर

33. **श्री सुकदास शारदूल,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोंडागांव, **संघ प्रतिनिधि,**
पता- ग्राम गिरोला, पोस्ट गिरोला, तह.कोडागांव जिला बस्तर

34. **श्री दिवाकर बैरागी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर, **संघ प्रतिनिधि,**
पता- ग्राम पी.व्ही.39 पोस्ट पी.व्ही.38 तह.पखांजूर जिला उत्तर बस्तर कांकेर

35. **श्री टीकम टांडिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व भानुप्रतापपुर, **संघ प्रतिनिधि,**
पता- ग्राम व पोस्ट भीरागांव, तह.भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर

36. **श्री कृष्ण मुरारी यादव,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, उत्तर सरगुजा, **संघ प्रतिनिधि,**
पता- ग्राम गॉजर, पोस्ट रामचंदपुर, जिला सरगुजा

37. **श्री करमदेव,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व सरगुजा, **संघ प्रतिनिधि,**
पता- ग्राम ओंकारनगर, पोस्ट महाराजगंज, जिला सरगुजा

38. **श्री रामस्वरूप यादव,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जशपुरनगर, **संघ प्रतिनिधि,**
पता- ग्राम खैरापाठ, जे. कामरिया, तहसील बगीचा, जिला जशपुर

विषय :- छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की ग्यारहवी वार्षिक साधारण सभा दिनांक 26.03.2011 की सूचना ।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/वनो./सह./2011/3058 दिनांक 24.02.2011 ।

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें । छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर की ग्यारहवीं **वार्षिक साधारण सभा दिनांक 26.03.2011 दिन शनिवार** को अपरान्ह 2.30 बजे **से आयोजित करने की सूचना दी गई है** । वार्षिक सभा का आयोजन **अनुसंधान एवं विस्तार वन मण्डल कार्यालय, वन परिसर पण्डरी, रायपुर** में किया जाना है । छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के सदस्यों अर्थात प्रत्येक जिला वनोपज सहकारी यूनियन से निर्वाचित प्रतिनिधि एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के संचालकों की उपस्थिति प्रार्थनीय है । वार्षिक साधारण सभा निम्नलिखित कार्यसूची पर विचार करने हेतु आहूत है ।

कार्यसूची

विषय क्रमांक - 1 **दसवीं वार्षिक साधारण आमसभा दिनांक 30.03.2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।**

विषय क्रमांक - 2 **वित्तीय वर्ष 2010-11 में किये गये कार्यों का विवरण ।**

विषय क्रमांक - 3 **वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन**

विषय क्रमांक - 4 **वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए बजट की स्वीकृति ।**

विषय क्रमांक - 5 **वित्तीय वर्ष 2009-10 के वित्तीय पत्रकों का अनुमोदन ।**

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से ।

नोटः- निर्धारित समय पर गणपूर्ति के अभाव में आयोजित वार्षिक साधारण सभा आधे घण्टे स्थगित होने के पश्चात अपरान्ह 3.00 बजे से पुनः उसी स्थान पर साधारण सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जावेगी ।

कृपया निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर सभा में उपस्थिति प्रार्थनीय है । **वार्षिक साधारण सभा की पुस्तिका संलग्न** प्रेषित है ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

सही/-
सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं
विकास सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर

अध्यक्षीय उद्‍बोधन

सम्माननीय प्रतिनिधिगण तथा संचालकगण

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ की **ग्यारहवीं वार्षिक आमसभा** में समस्त जिला यूनियनो से आये सम्मानीय प्रतिनिधियेा एंव संघ के संचालक मण्डल के माननीय सदस्यों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं । छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण हुए 10 वर्ष पूर्ण हेा चुके हैं । इस प्रथम दशक में राज्य में विकास कार्यो में जिस तेजी से वृद्धि हुई है, उसी गति से लघु वनेापज के क्षेत्र में भी विकास कार्य में वृद्धि हुई है । सहकारिता के त्रिस्तरीय ढ़ाचे में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनेापज संघ 32 जिला यूनियनों तथा 915 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों की शीर्ष संस्था है । राज्य वनोपज सहकारी संघ अपनी संबंद्ध जिला यूनियनो एवं प्राथमिक वनोपज के माध्यम से अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आर्थिक सामाजिक उन्नति के लक्ष्य को प्राथमिकता देते हुए कार्य कर रहा है ।

संग्रहण सीजन 2010 में 15.45 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता का संग्रहण हुआ था और इसका विक्रय मूल्य रू. 335.30 करोड़ है ।

संग्रहण वर्ष 2011 में संग्रहित होने वाले तेन्दूपत्तें की अनुमानित मात्रा 16.39 लाख मानक बोरा में से 16.28 लाख मानक बोरा का अग्रिम निर्वर्तन किया जा चुका हैं । इसके विक्रय से लगभग रूपये 423.99 करोड़ की राशि प्राप्त होगी । शेष 8 लाटों की मात्रा 0.116 लाख मानक बोरा के विक्रय की कार्यवाही की जा रही है । पूर्व के वर्षों की घाटे की राशि के समायोजन के पश्चात लगभग 236 करोड़ रूपये का शुद्ध लाभ होने का अनुमान है, जिससे संग्राहकों को लगभग रूपये 189 करोड़ प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त होने की संभावना है । तेन्दूपत्ता के व्यवसाय में आशातीत सफलता के लिए मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ ।

मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2008 से लाभ का विभाजन निम्नानुसार किया जावे :-

क. 80 प्रतिशत राशि संग्राहकों को ‘‘प्रोत्साहन पारिश्रमिक’’ के रूप में वितरित की जाये ।

ख. 15 प्रतिशत राशि संग्राहकों समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के व्यापार हेतु उपलब्ध कराई जाये । यह राशि समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय एवं विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी । समितियों द्वारा यह कार्य लघु वनोपज संघ के मार्गदर्शन में किया जाएगा ।

ग. शेष 5 प्रतिशत राशि का उपयोग घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु परिक्रमण निधि के रूप में संघ मुख्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

उपरोक्त निर्णयानुसार वर्ष 2009 के तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की 80 प्रतिशत की राशि रू. 92.31 करोड़ की राशि प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में तेन्दूपत्ता संग्राहकों को वितरण हेतु जिला यूनियनों को उपलब्ध कराई गई है । अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय एवं विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु रू. 17.59 करोड़ जिला यूनियनों को उपलब्ध कराई जावेगी तथा शेष राशि रू. 5.78 करोड़ का उपयोग घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु परिक्रमण निधि के रूप में संघ मुख्यालय में सुरक्षित रखी है । तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2010 के तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त आय (व्यय घटाकर) लगभग रूपये 137.55 करोड़ की राशि उपलब्ध है जिसका विभाजन शासन निर्णय अनुसार लाभ का विभाजन किया जावेगा ।

विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी शासन निर्देशानुसार तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार की एक महिला सदस्य को एक जोड़ी चप्पल वितरित की जावेगी । इस हेतु राज्य शासन से लघु वनोपज संघ को रूपये 10 करोड़ की राशि उपलब्ध कराने हेतु शासन द्वारा बजट में प्रावधान किया गया है । रूपये 125.00 प्रति जोड़ी की दर से लगभग 12.50 लाख जोड़ी चप्पल क्रय किये जाने की कार्यवाही की जा रही है । हमारा यह प्रयास हैं कि वर्षा ऋतु के पूर्व तक तेन्दूपत्ता संग्राहक महिलाओं को चप्पल का वितरण कर दिया जाए ।

राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज संवर्धन एवं विकास हेतु वर्ष 2006-07 में यूरोपियन कमीशन की सहायता से अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य परियोजना, जिसकी लागत रूपये 21.20 करोड़ है, प्रारंभ की गई है । इस हेतु अभी तक रूपये 16.83 करोड़ का बजट आबंटन प्राप्त हुआ है । इस राशि से लघु वनोपज का संग्रहण/प्रसंस्करण एवं विपणन को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न कार्य, जैसे कि संसाधन सर्वेक्षण, लघु वनोपज आधारित माइक्रोइंटरप्राईजेस स्थापना, विपणन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि कार्य क्रियान्वित किये जा रहे हैं । इससे राज्य के लघु वनोपज संग्राहकों को अतिरिक्त रोजगार एवं आय प्राप्त हो रही है ।

स्व-सहायता समूह/वन समिति/प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के माध्यम से वनोपज संग्रहण/प्रसंस्करण एवं विपणन किये जाने का कार्य संघ द्वारा किया गया है । विभिन्न स्रोतों से प्राप्त राशि से माहुल पत्ता, इमली, आंवला, काजू, चिरोंजी, वनौषधि आधारित माइक्रोइंटरप्राईजेस स्थापित किये गये हैं । समस्त 6 वन वृत्त मुख्यालय पर स्थापित NWFP मार्ट तथा विभिन्न जिला यूनियनों में स्थापित 43 संजीवनी के माध्यम से लघु वनोपज के उत्पादों के विक्रय का कार्य किया जा रहा है । छत्तीसगढ़ हर्बल उत्पाद के प्रचार-प्रसार हेतु वॉल पेंटिंग, एस.एम.एस. एवं टेलीविजन चैनलों के माध्यम से ब्रांड प्रमोशन का कार्य किया जा रहा है । क्षमता विकास कार्यक्रम के अंतर्गत 7993 हितग्राहियों को स्व सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण, विनाश विहीन विदोहन एवं माहुल पत्ता प्रसंस्करण, महुआ फूल संग्रहण एवं प्रसंस्करण, वनौषधि प्रसंस्करण, लाख पालन एवं शहद संग्रहण एवं प्रसंस्करण आदि विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है । अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में प्राप्त 32 करोड़ रूपये की राशि से प्रदेश में 6 क्लस्टर चिन्हित कर लघु वनोपज आधारित बड़े प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना का कार्य प्रगति पर हैं । ट्रायफेड नईदिल्ली की सहायता से माहुल फूल के संग्रहण, भण्डारण एवं प्रसंस्करण की योजना प्रांरभ की गई है । मुझे आशा है कि इन कार्यों से लोगों की आय के साधन में बढ़ोत्तरी होगी ।

राज्य के वनाचंल क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को लाख पालन एवं प्रसंस्करण के माध्यम से आय के साधन उपलब्ध कराने हेतु छ.ग. राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा **स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना** के अंतर्गत् लाख पालन एवं प्रसंस्करण परियोजना 26 जिला यूनियनों में संचालित की जा रही है । इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले 13204 हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने की योजना है । इस परियोजना की अवधि वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 तक है । परियोजना की कुल लागत राशि रू. 14.97 करोड़ है । प्रथम किश्त के रूप में रू. 2.8084 करोड़ (दो करोड़, अस्सी लाख चौरासी हजार) की राशि भारत शासन द्वारा एवं रू. 0.93 करोड़ राज्य शासन द्वारा प्रदाय की गई है ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2009-10 में भी 4495 टन लाख उत्पादन हुआ । वर्ष 2009-10 में लाख की खेती एवं प्रसंस्करण संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए राज्य में 6 लाख फैसिलिटेशन केन्द्रों की स्थापना की गई है । ग्रामीणों को लाख पालन हेतु तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए 200 स्थानीय बारहवीं पास युवाओं को लाख फैसिलिटेटर के रूप में नियुक्ति किये गये है । राज्य के बजट में वर्ष 2010-2011 के लिये लाख विकास योजना के लिये रूपये 200 लाख प्राप्त हुआ है । आगामी वर्ष में लाख की खेती एवं प्रशिक्षण के कार्य में और अधिक वृद्धि की जायेगी, ताकि लाख की खेती से ग्रामीणों को अधिक से अधिक आय प्राप्त हो सके ।

यू.एन.डी.पी. - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से वर्ष 2008-09 से 2010-2011 तीन वर्षो के लिये 2.5 करोड़ की जन सहयोग आधारित जैव विविधता संरक्षण व प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन परियोजना स्वीकृत की गयी है । इस परियोजना के संचालन हेतु जगदलपुर, उत्तर कोण्डागांव एवं कटघोरा वनमंडल के कुल 9365 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया गया है । वर्ष 2011-12 अंतः स्थलीय संरक्षण क्षेत्र में कुल 9876.631 हेक्टर वन क्षेत्र की वृद्धि की जावेगी । संसाधन सर्वेक्षण, अंतःस्थलीय संरक्षण, बाह्य स्थलीय संवर्धन, वनौषधालय स्थापना, गैरवानिकी जैव विविधता अनुसंधान एवं विस्तार, जैविक प्रमाणीकरण, लाख पालन, ईमली, चिरौंजी व माहुल पत्ता का संग्रहण व प्रसंस्करण, कोसा पालन एवं स्व सहायता समूहों एवं वन समितियों के क्षमता विकास के कार्य किये गये है ।

भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना दिनांक 01.05.07 से लागू की गई है । इस योजना के प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि गरीब संग्राहकों के हित में राज्य शासन द्वारा तथा 25 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा वहन की जा रही है । इसमें समस्त 18 से 59 वर्ष आयु के तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनके द्वारा वर्ष 2009 या 2010 में तेन्दूपत्ता तोड़ा गया है, बीमित है । इस योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 20,000/-, आंशिक विकलांगता होने पर रूपये 25,000/-, दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रूपये 50,000/- की राशि स्वयं अथवा उसके आश्रितों को प्राप्त होती है । इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वर्ष 2010-11 में माह फरवरी तक 6742 दावा प्रकरणों की राशि रूपये 14.423 करोड़ स्वीकृत की गई है ।

इसके अतिरिक्त बीमित मुखिया परिवारों के कक्षा 9 वीं से 12 वीं तथा आई.टी.आई. में पढ़ने वाले 2 बच्चों को रूपये 600/- प्रत्येक बच्चे प्रति छःमाही छात्रवृत्ति प्राप्त होती है ।

तेन्दूपत्ता परिवार के मुखिया के अतिरिक्त परिवार के शेष सदस्यों के लिए पुरानी समूह बीमा योजना जारी रखी गई है । इस योजना के तहत संग्राहकों की सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 3,500/-, दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से विकलांगता होने पर रूपये 12,500/- तथा दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता या मृत्यु होने पर रूपये 25,000/- की राशि देने का प्रावधान है । वित्तीय वर्ष 2010-11 में माह फरवरी तक 5052 दावा प्रकरणों की निराकरण कर राशि रूपये 2.45 करोड़ का भुगतान किया गया है ।

संघ के कार्यों के संपादन हेतु अमले की कमी को दूर करने के लिए मेरे द्वारा सतत प्रयास किये गये है । डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा) के पदों के 37 नियमित पद की स्वीकृति शासन से प्राप्त होने के उपरांत सीधी भर्ती से 35 पद भरे गये है । अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के सहायक ग्रेड -3 के 1 तथा संदेशवाहक के 2 पदों पर एवं अनुसूचित जाति के बैकलॉग के संदेश वाहक के 1 पद पर सीधी भर्ती से विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्ति की कार्यवाही की गई है ।

वर्तमान में वनोपज की त्रिस्तरीय संस्थाओं में निर्वाचित संचालक मण्डल कार्यरत है । जिला यूनियन के निर्वाचित संचालकों को सहकारिता के अंतर्गत् अधिनियम, नियम एवं उपविधियों तथा अधिकार, कर्तव्यों का प्रशिक्षण देकर उन्हे अधिक जागरूक बनाने का प्रयास किया जा रहा है । इसी क्रम में जिला यूनियन के अध्यक्षों को देश की सर्वोच्च सहकारी संस्था अमूल के शैक्षणिक भ्रमण पर भी भेजा गया । भविष्य में भी तीनों स्तर की सहकारी संस्थाओं के निर्वाचित संचालकों को सहकारी प्रशिक्षण दिया जाना है । इस प्रकार के प्रशिक्षण आयोजन से दूरगामी परिणाम निकलेंगे तथा शासन की नीति को सफल बनाने में सुचारू सहयोग मिलेगा ।

आभार

मैं राज्य लघु वनोपज संघ की ओर से आप सभी उपस्थित संघ के संचालक मण्डल के माननीय संचालक सदस्यों तथा जिला यूनियनों से आये प्रतिनिधियों, संघ के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता हूं । जिनके कारण वनोपज संघ अपने संग्राहकों को लघु वनोपज के संग्रहण और प्रसंस्करण के माध्यम से अधिकाधिक पारिश्रमिक दिलाकर उनके आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में सुधार लाने के मार्ग में पूर्ण सक्षमता से आगे बढ़ रहा है । यह आप सभी के तथा इन गतिविधियों में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंद्ध अधिकारियों एवं कर्मचरियों के कठिन परिश्रम से ही संभव हो रहा है । अंत में अपेक्षा करता हूँ कि भविष्य में भी आप सभी से इसी प्रकार की सहकार भावना अनुरूप अमूल्य सहयोग प्राप्त हो सकेगा ।

जय सहकार । जय छत्तीसगढ़ ।

(मुरारी लाल सिंह)
अध्यक्ष

विषय-सूची

अनुक्रमांक	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	दसवीं वार्षिक साधारण आमसभा दिनांक 30.03.2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।	1-10
2.	वित्तीय वर्ष 2010-11 में किये गये कार्यों का विवरण ।	11-43
3.	वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन	44-50
4.	वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए बजट की स्वीकृति ।	51-57

<u>विषय क्रमांक - 1</u>

विषय : दसवीं वार्षिक साधारण आम सभा दिनांक 30.03.2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर की दसवीं वार्षिक आमसभा संघ के माननीय अध्यक्ष श्री मुरारीलाल सिंह की अध्यक्षता में व्ही.आई.पी.क्लब, खम्हारडीह, शंकर नगर रायपुर में दिनांक 30.03.2010 को अपरान्ह 2.30 से प्रांरभ की गई ।

बैठक के प्रांरभ में प्रबंध संचालक द्वारा माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक सदस्यों एवं सदस्य संस्थाओं से आये संघ प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत किया गया । सभी संचालक सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का परिचय प्राप्ति उपरांत आम सभा की कार्यवाही प्रांरभ की गई ।

आमसभा में निम्नानुसार पदाधिकारी उपस्थित रहे :-

1. **माननीय श्री मुरारीलाल सिंह,** — अध्यक्ष
   अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित, रायपुर
2. **श्री सग्गेसिंग बट्टी,** — उपाध्यक्ष
   उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर
3. **श्रीमती ब्रम्हानी चन्द्राकर,** — संचालक
   छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर
4. **श्री रूपनारायण पाण्डेय,** — संचालक
   छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर
5. **श्री पुनीत राम सिन्हा,** — संचालक
   छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, रायपुर
6. **श्री बी.के.सिन्हा**, — सदस्य
   मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) वन विभाग, छ.ग. रायपुर
7. **श्री पी.आर.नाईक, अपर पंजीयक, वास्ते पंजीयक**, — सदस्य
   सहकारी संस्थाएं, छ.ग., रायपुर
8. **श्री एस.के.मिश्रा, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी,** — सदस्य
   आदिम जाति कल्याण विभाग
9. **श्री बलभद्र सिंह ठाकुर,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायपुर — प्रतिनिधि
10. **श्री रामनारायण,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व रायपुर — प्रतिनिधि

11.	**श्री रविशंकर गोड़,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, महासमुंद	प्रतिनिधि
12.	**श्री आलोक सिन्हा,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी	प्रतिनिधि
13.	**श्री मोतीराम उईके,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, खैरागढ़	प्रतिनिधि
14.	**श्री पंचराम ध्रुर्वे,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कवर्धा	प्रतिनिधि
15.	**श्री तीजम सिंह मरावी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बिलासपुर	प्रतिनिधि
16.	**श्री चुन्नी लाल साहू,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जांजगीर-चांपा	प्रतिनिधि
17.	**श्री नृपत सिंह राठिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, रायगढ़	प्रतिनिधि
18.	**श्रीमती मानकुंवर राठिया**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धरमजयगढ़	प्रतिनिधि
19.	**श्री उधोराम कश्यप,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कोरबा	प्रतिनिधि
20.	**श्री अक्षय कुमार गर्ग**, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, कटघोरा	प्रतिनिधि
21.	**श्री रामस्वरूप यादव,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जशपुरनगर	प्रतिनिधि
22.	**श्री करमदेव,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व सरगुजा	प्रतिनिधि
23.	**श्री कृष्ण मुरारी यादव,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, उत्तर सरगुजा	प्रतिनिधि
24.	**श्री केदारनाथ साहनी,**जिला वनोपज सहकारी यूनियन, जगदलपुर	प्रतिनिधि
25.	**श्री नीलम गनपत,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, बीजापुर	प्रतिनिधि
26	**श्री कवासी रमेश,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, सुकमा	प्रतिनिधि
27.	**श्री सुकमन सोढ़ी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दन्तेवाड़ा	प्रतिनिधि
28.	**श्री सुकदास शारदूल,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, दक्षिण कोंडागांव	प्रतिनिधि
29.	**श्री हेमंत शांडिल्य,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, उत्तर कोंडागांव	प्रतिनिधि
30.	**श्री प्रेमलाल,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, नारायणपुर	प्रतिनिधि
31.	**श्री टीकम टांडिया,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व भानुप्रतापपुर	प्रतिनिधि
32.	**श्री दिवाकर बैरागी,** जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पश्चिम भानुप्रतापपुर	प्रतिनिधि
33.	**श्री ए.के. सिंह, प्रबंध संचालक**, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित रायपुर	सदस्य

दसवीं वार्षिक साधारण आमसभा की बैठक में श्री बी.एल.सरन, कार्यकारी संचालक (वित्त/व्यापार) एवं श्री आर.सी.रैगर, कार्यकारी संचालक (स्था/विकास) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ, मर्यादित रायपुर भी उपस्थित रहे ।

बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम संघ के माननीय अध्यक्ष द्वारा अपना अध्यक्षीय उद्‌बोधन दिया गया ।

तदुपरांत सभा में विषयवार विचार-विमर्श करते हुए निम्नानुसार निर्णय लिये गये :-

विषय कमांक	विषय	संकल्प (निर्णय)	की गई कार्यवाही
1.	नवमीं वार्षिक साधारण आमसभा दिनांक 13.03.2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि एवं निर्णयों का पालन प्रतिवेदन ।	दसवीं वार्षिक साधारण सभा द्वारा नवमीं वार्षिक साधारण सभा दिनांक 13.03.2009 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई तथा पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन किया गया ।	कार्यवाही की आवश्यकता नही ।
2.	वित्तीय वर्ष 2009-10 में किये गये कार्यों का विवरण ।	वार्षिक आम सभा में संघ के प्रबंध संचालक द्वारा वित्तीय 2009-2010 में किये गये कार्यों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया जिस पर आम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा चर्चा उपरांत सहमति व्यक्त की गई ।	कार्यवाही की आवश्यकता नही ।
3.	वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन	प्रबंध संचालक, संघ द्वारा संघ में वर्ष 2010-2011 में किये जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों का विवरण सभा में प्रस्तुत किया गया जिसका सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया । माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा चर्चा के दौरान आदर्श उपविधियों (बायलाज) में संशोधन के संबंध में निर्देश	कार्यवाही की आवश्यकता नही ।

		दिये गये कि संघ की वेबसाईट में प्रदर्शित तीनों स्तर की सहकारी संस्थाओं की प्रस्तावित उपविधियों में संशोधन के संबंध में सुझाव देने हेतु समस्त जिला यूनियन छत्तीसगढ़ को पुनः लेख किया जावे और आगामी आमसभा में प्राप्त सुझावों के आधार पर उपविधियों को अंतिम रूप देने हेतु प्रस्तुत किया जावे ।	
4.	वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए बजट की स्वीकृति	वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए दसवीं साधारण आमसभा द्वारा प्रस्तावित बजट का अवलोकन कर चर्चा उपरांत स्वीकृति प्रदान की गई ।	स्वीकृत बजट के अनुरूप कार्य संपन्न किया गया ।
5.	वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतिम वित्तीय पत्रको पर विचार ।	वित्तीय वर्ष 2008-09 के अंतिम वित्तीय पत्रको का आमसभा द्वारा अनुमोदन किया गया । पंजीयक सहकारी संस्थाओ के अंकेक्षण उपरान्त अंकेक्षित वित्तीय पत्रको को पुनः प्रस्तुत किया जावे ।	कार्यवाही की आवश्यकता नही ।

अतिरिक्त विषय बिन्दु :-

विषय कमांक	विषय	संकल्प (निर्णय)	की गई कार्यवाही
1.	श्री आलोक सिन्हा, प्रतिनिधि, जिला वनोपज सहकारी यूनियन, धमतरी, संघ प्रतिनिधि द्वारा मुद्दा उठाया गया कि संघ के संचालक सदस्यों एवं प्रतिनिधियों की समस्याओ, जिला	माननीय अध्यक्ष, संघ एवं प्रबंध संचालक, संघ ने अवगत कराया कि जो भी समस्याएं सदस्यो के समक्ष आती है, उनको वे किसी समय लिखित में अध्यक्ष संघ को प्रस्तुत कर सकते है तथा नियमानुसार उस विषय पर संघ के संचालक मण्डल तथा शासन	कार्यवाही की आवश्यकता नही है ।

	यूनियन स्तर पर समस्या/ शिकायत के संदर्भ में नवमीं आमसभा में प्रस्तुत मुद्दो पर क्या कार्यवाही की गई ? अवगत कराया जावें ।	में विचार किया जावेगा । जिला यूनियन स्तर पर यदि कोई समस्या या शिकायत हो तो सदस्यों द्वारा उसे लिखित रूप में प्रबंध संचालक जिला यूनियन को दिया जाना चाहिये तथा जिला यूनियन के संचालक मण्डल की बैठक में प्रस्तुत किया जाना चाहिये एवं यदि सदस्य आवश्यक समझे तो संघ कार्यालय को प्रेषित् कर सकते है । नवमी आमसभा के पश्चात् सदस्यों की कोई समस्या/शिकायत/सुझाव लिखित में प्राप्त नही हुआ है । अतः विषय क्रमांक 1 के अतिरिक्त विषय बिन्दु के विषय क्रमांक 1 से 7 तक उठाये गये मुद्दे / जानकारी एवं सुझावों का उल्लेख पालन प्रतिवेदन में किया जा चुका है, जिसका अवलोकन सदस्य कर सकते है । दसवीं आमसभा में किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नही है ।	
2.	आसमभा में उपस्थित प्रदेश प्रतिनिधियो ने जिला वनोपज सहकारी यूनियनो के अध्यक्ष की भांति 100 दिवस वाहन उपयोग की स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से प्रस्तुत किया गया ।	इस विषय पर प्रबंध संचालक संघ द्वारा अवगत कराया गया कि संघ के संचालक मण्डल में इस विषय पर प्रस्ताव प्रस्तुत कर छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को निर्णय हेतु प्रेषित किया जावेगा ।	पारित संकल्प के क्रियान्वयन में तत्संबंधी प्रस्ताव तैयार कर अपर मुख्य सचिव, छ.ग.शासन, वन विभाग को पत्र क्रमांक 16498 दिनांक 24.12.2010 प्रेषित् किया गया । छ.ग.शासन, वन मंत्रालय, द्वारा उक्त प्रस्ताव को पत्र क्रमांक 5636/ 5242/ 10/10-1/वन दिनांक 29.12.2010 से अमान्य किया गया है । जिसकी

			जानकारी से समस्त प्रदेश प्रतिनिधि जिला यूनियन छ.ग. को पत्र क्रमांक 2252 दिनांक 08.02. 2011 से अवगत कराया गया है ।
3.	श्री टीकम टांडिया, श्री मोतीराम उईक, श्री अक्षय कुमार गर्ग, श्री सुकमन सोढ़ी, प्रतिनिधि जिला वनोपज सहकारी यूनियन, पूर्व भानुप्रतापपुर, खैरागढ़, कटघोरा, दन्तेवाड़ा द्वारा सूचित किया गया कि कुछ तेन्दूपत्ता संग्राहको को वर्ष 2007 सीजन का एवं वर्ष 2008 सीजन का प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण नही हुआ है ।	प्रबंध संचालक द्वारा अवगत कराया कि वर्ष 2007 की ऐसी समितियों जिनका विक्रय मूल्य प्राप्त नही हुआ है अथवा जो हानि में है उन समितियों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक की पात्रता न होने से वितरण नही हुआ है । यदि क्रेताओं द्वारा राशि जमा करा दी जाती है अथवा ये समितियां लाभ की स्थिति में आती है, तो उन समितियों में भी बोनस वितरण की कार्यवाही की जावेगी । जहां तक वर्ष 2008 से संबंधित प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण का प्रश्न है समस्त जिला यूनियनो को संघ के पत्र क्रमांक 2216 दिनांक 07.11.2009 द्वारा प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण करने के निर्देश जारी किये जा चुके है । जिला यूनियनवार तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2007 एवं वर्ष 2008 से संबंधित जानकारी क्रमशः बैठक के एजेण्डा के परिशिष्ट क्रमांक टी-1 एवं टी-2 में संलग्न है । फिर भी यदि किसी विशेष फड़/समिति में प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण संबंधी शिकायत माननीय सदस्यों द्वारा लिखित में प्रस्तुत की जाती है, तो उसकी जांच कराने का आश्वासन दिया	कार्यवाही की आवश्यकता नही ।

		गया ।	
4.	अक्षय कुमार गर्ग, प्रतिनिधि जिला वनोपज यूनियन कटघोरा ने चरण पादुका वितरण नही होने तथा समितियों स्तर पर चरण पादुका वितरण से शेष रहने तथा उसके खराब होने का मुद्‌दा उठाया । यह मुद्‌दा उठाया कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं वितरित की जाने वाली चरण पादुका नही पहनती है अतः महिलाओं को जूती के स्थान पर चप्पल या छागल या छाता वितरण किया जावे ।	प्रबंध संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि जिला यूनियनो / समितियो में तेन्दूपत्ता संग्राहको को चरण पादुकाओ का वितरण नही हुआ है, कि जानकारी माननीय सदस्यो द्वारा लिखित में फड़ विशेष की जानकारी दिये जाने पर प्रकरण की जांच कराकर वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया जावेगा । जहां तक महिला/पुरूष संग्राहको को चरण पादुका के स्थान पर अन्य सामग्री वितरण किये जाने का प्रश्न है इस पर प्रबंध संचालक द्वारा माननीय सदस्यो को अवगत कराया गया कि चरण पादुका वितरण हेतु राशि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वनोपज संघ को दी जाती है तथा वर्ष 2001-10 हेतु पुरूष चरण पादुका वितरण करने का निर्णय शासन द्वारा लिया जा चुका है, इसलिये वर्ष 2010-11 में तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक पुरूष सदस्य को चरण पादुका उपलब्ध करायी जावेगे । भविष्य में चरण पादुका या अन्य सामग्री वितरण के संबंध में शासन के द्वारा ही निर्णय लिया जावेगा ।	वर्ष 2011 में छ.ग.शासन द्वारा ते.प.संग्राहक परिवार के एक महिला सदस्य को चप्पल वितरण का निर्णय लिया यगा है तथा 1.00 लाख चिन्हाकिंत सदस्यो को छागल वितरण के रूप में किये जाने की निर्णय दिये गये है । वर्तमान में छागल का उपयोग अत्यंत कम होने से छागल निर्माताओं की जानकारी उपलब्ध नही हो पा रही है । शासन निर्णय के पालन में चप्पल क्रय हेतु संघ की निविदा सूचना क्रमांक चप्पल/2011/I दिनांक 18.01.2011 जारी की गई है तथा क्रय की कार्यवाही प्रगति पर है ।

5.	अनेक सदस्यों ने तेन्दूपत्ता लक्ष्य से कम संग्रहण का मुद्दा उठाया ।	प्रबंध संचालक द्वारा सदस्यो को अवगत कराया गया कि प्रत्येक वर्ष संग्रहण के लिये लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, जो कि एक अनुमान है । प्रत्येक फड़ पर सही गुणवत्ता का जितना भी पत्ता आवेगा, वह प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति द्वारा क्रय कर क्रेता को परिदान दिया जावेगा । किसी भी फड़ का उत्पादन लक्ष्य से कम तथा अधिक दोनो हो सकता है । यदि संग्रहण काल में किसी फड़ पर अनावश्यक रूप से पत्ता क्रय नही किया जा रहा है तो इसकी लिखित जानकारी प्रबंध संचालक, जिला यूनियन के कार्यालय तथा उप वनमण्डलाधिकारी एवं परिक्षेत्राधिकारी कार्यालय में दी जाना चाहिये । आवश्यकतानुसार संघ मुख्यालय को भी अवगत कराया जा सकता है ।	कार्यवाही आवश्यक नहीं ।
6.	आमसभा में अनेक सदस्यों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि समिति के जिला यूनियन के संचालको को मानदेय दिया जावे ।	प्रबंध संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि संचालक मण्डल के सदस्यो को मानदेय देने का प्रावधान नही है । सदस्यो से प्राप्त प्रस्तावो पर विचार किया जावेगा ।	कार्यवाही की आवश्यकता नही ।
7.	आमसभा में कुछ सदस्यो ने यह मुद्दा उठाया कि मूलभूत सुविधा के विकास के कार्य के संबंध में स्वीकृति जिला यूनियनों के संचालक मण्डल से नही ली	प्रबंध संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति क्षेत्र के ग्रामो में मूलभूत सुविधाओ के विकास हेतु कराये जाने वाले कार्य का प्रस्ताव प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के	कार्यवाही की आवश्यकता नही ।

	जाती तथा कार्य उपरान्त प्रस्ताव पारित करा लिया जाता है ।	संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदित कर प्रबंध संचालक, जिला यूनियन को स्वीकृति हेतु निर्देश है । जिला यूनियन के संचालक मण्डल की बैठक में कार्यो की प्रगति की जानकारी प्रस्तुत की जाना चाहिये ।	
8	आमसभा में श्री मोतीराम उईके, जिला वनोपज यूनियन खैरागढ़ प्रतिनिधि तथा अन्य सदस्यों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि संघ प्रतिनिधियो को क्या अधिकार या सुविधाएं प्रदत्त है, अवगत कराया जावे ।	प्रबंध संचालक द्वारा अवगत कराया गया कि जिला यूनियन से निर्वाचित सदस्य प्रदेश प्रतिनिधि के रूप में आये है । छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ, जिला यूनियन एवं प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति की उपविधियों में अंकित प्रावधानों अनुसार ही सदस्यों को अधिकार एवं कर्तब्य तथा सुविधाएं उपलब्ध करायी जाती है ।	कार्यवाही की आवश्यकता नही ।
9	अनेक सदस्यों के द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि उनको जिला यूनियन के द्वारा संपादित किये जा रहे कार्यो की जानकारी संचालक मण्डल एवं आमसभा की बैठक में प्राप्त नहीं हो पाती है ।	प्रबंध संचालक द्वारा बताया गया कि संघ कार्यालय के पत्र क्रमांक/वनो/संघ/सह./2009/ 1896 दिनांक 07.02.2009 से समस्त प्रबंध संचालक (छ.ग.) को संचालक मण्डल/आमसभा की बैठक में रखे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण विषयों को अंकित कर उनका समावेश संचालक मण्डल की बैठक तथा आमसभा में किये जाने संबंधी निर्देश जारी किये गये थे जिसकी प्रति गत् आमसभा में उपस्थित सभी सदस्यों को भी उपलब्ध करायी गयी थी तथा संचालक मण्डल के सदस्यो को चाहिये कि वह इस प्रकार के मुद्दो को जिला यूनियन के संचालक मण्डल की बैठक में	तत्संबंध में समस्त प्रबंध संचालक, जिला यूनियन छ.ग. को पूर्व जारी निर्देशो के क्रियान्वयन हेतु पत्र कमांक 7712 दिनांक 02.06.2010 जारी किया गया ।

		प्रस्तुत किया करें । तदाशय संबंधी पत्र क्रमांक 3603 दिनांक 23.02.2010 को पुनः संघ मुख्यालय द्वारा इस वर्ष भी समस्त जिला यूनियन को प्रेषित किया गया जा चुका है ।	
10	अनेक सदस्यो द्वारा संचालक मण्डल की बैठक समय से संपन्न नही होने का भी मुद्दा उठाया गया ।	प्रबंध संचालक द्वारा बताया गया कि जिस जिला यूनियन में संचालक मण्डल की बैठको का आयोजन उपविधियो के अनुसार नही किया जा रही है । उसके संबंध में प्रबंध संचालक जिला यूनियन तथा जिला यूनियन अध्यक्ष को लिखित में दिया जाना चाहिये तथा जिला यूनियन के संचालक मण्डल की बैठक की इस मुद्दे को उनके द्वारा उठाया जाना चाहिये । आवश्यकतानुसार संघ मुख्यालय को लिखित में अवगत कराया जावें ।	संचालक मण्डल एवं वार्षिक आसमभा का आयोजन उपविधि अनुसार आयोजित करने हेतु समस्त जिला यूनियन छ.ग. को पत्र क्रमांक 11197 दिनांक 26.08. 2010 जारी कर निर्देशित किया गया है ।
11	कुछ सदस्यों द्वारा इमली/ महुआ क्रय के संबंध में मुद्दा उठाया गया ।	इस संबंध में अवगत कराया गया कि वर्ष 2008 से तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त आय जिन प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के पास उपलब्ध है उस राशि से प्रबंध संचालक जिला यूनियन से प्रस्ताव पर अनुमति प्राप्त कर प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियां अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज जैसे इमली व महुआ आदि क्रय कर सकती है ।	तेन्दूपता संग्रहण वर्ष 2008 एवं 2009 के व्यापार से प्राप्त 15 प्रतिशत की राशि क्रमशः 12.32 करोड़ एवं 17. 59 करोड़ अर्राष्ट्रीयकृत वनोपज के लिये उपलब्ध है । जिसके संबंध मे कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5954 दिनांक 16.04. 2010 एवं पत्र क्रमांक 13700 दिनांक 23.10. 2010 द्वारा आदेश प्रसारित किये गये है ।

अन्त में प्रबंध संचालक द्वारा सभा में उपस्थित सभी सदस्यों का सभा में सक्रिय रूप से भाग लेने हेतु आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित किया गया । तदुपरांत सभा की कार्यवाही समाप्त की गई ।

विषय क्रमांक - 2

विषय : वित्तीय वर्ष 2010-11 में किये गये कार्यों का विवरण ।

(i) छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ की पद संरचना

संघ के विभिन्न स्तर संघ मुख्यालय, वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक कार्यालय तथा जिला यूनियन कार्यालयों में स्वीकृत पद तथा कार्यरत पदों की संख्या संलग्न **परिशिष्ट 'क'** में दर्शाई गई है । दिसम्बर 1997 तक से संघ में लगातार 10 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले 32 दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों का संदेशवाहक के पद पर शासन से प्राप्त सांख्येत्तर पद पर नियमितीकरण किया गया है । 1 संदेश वाहक का स्वर्गवास हो गया है ।

डाटा एन्ट्री आपरेटर (संविदा) के पदों को नियमित पद की स्वीकृति शासन से प्राप्त होने के उपरांत शासन के निर्देशानुसार संघ द्वारा सीधी भर्ती से 35 डाटा एन्ट्री आपरेटर (नियमित) के पद भरे है । 2 पद विकलांग हेतु आरक्षित है । योग्य अभ्यार्थी नही मिलने से दोनों पद रिक्त है । अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के सहायक ग्रेड -3 के 1 तथा अनुसूचित जाति के बैकलॉग के संदेशवाहक के 2 पदों एवं अनुसूचित जाति के बैकलॉग के संदेश वाहक के 1 पद पर सीधी भर्ती से विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्ति की गई है ।

(ii) तेंदूपत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना

भारतीय जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना दिनांक 01.05.07 से लागू की गई है, जिसके अंतर्गत समस्त तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी आयु 18 से 59 वर्ष के है, बीमित है । इसके अतिरिक्त बीमित मुखिया परिवारों के कक्षा 9 वीं से 12 वीं तथा आई.टी. आई. में पढने वाले 2 बच्चों को रूपये 600/- प्रति छैमाही छात्रवृत्ति प्राप्त होती है । इस योजना के प्रीमियम की 75 प्रतिशत राशि गरीब संग्राहकों के हित में राज्य शासन द्वारा वहन की जा रही है तथा 25 प्रतिशत राशि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा की जा रही है । वर्ष 2010-11 में वार्षिक प्रीमियम की राशि रूपये 9,52,90,992/- भारतीय जीवन बीमा निगम रायपुर को भुगतान किया गया । इस योजना के अंतर्गत सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 20,000/-, आंशिक विकलांगता होने पर रूपये 25,000/-, दुर्घटना मृत्यु/पूर्ण विकलांगता होने पर रूपये 50,000/- की राशि स्वयं अथवा उसके आश्रितों को प्राप्त होती है । इस योजना में भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा वर्ष 2010-11 में माह जनवरी तक 6,742 दावा प्रकरणों की राशि रूपये 14,42,30,000/- की दावा राशि स्वीकृत की गई है । वर्ष 2010-11 में कुल 64,657 छात्र छात्राओं को रूपये 7,75,88,400/- की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया गया है ।

(iii) सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना

जनश्री बीमा योजना से तेन्दूपत्ता सग्राहक परिवार के मुखिया का ही बीमा होता है, शेष संग्राहक बीमा के लाभ से वंचित रह जाते है । इस कारण तेन्दूपत्ता परिवार के मुखिया के अतिरिक्त शेष लगभग 20,65,000 संग्राहकों के लिए पुरानी समूह बीमा योजना जारी रखी गई है । इस योजना के तहत संग्राहकों की सामान्य मृत्यु होने पर रूपये 3,500/-, दुर्घटना के कारण आंशिक रूप से विकलांगता होने पर रूपये 12,500/- तथा दुर्घटना में पूर्ण विकलांगता या मृत्यु होने पर रूपये 25,000/- की राशि देने का प्रावधान है । इस योजना हेतु संग्राहक को देय प्रीमियम का भुगतान नही करना पडता है । वित्तीय वर्ष 2010-11 में देय प्रीमियम की राशि रूपये 2,26,00,000/- का भुगतान संघ द्वारा किया गया है । वित्तीय वर्ष 2010-11 में माह फरवरी तक 5,052 दावा प्रकरणों का निराकरण कर राशि रूपये 2,45,03,000/- का भुगतान संग्राहको को बीमा राशि के रूप में किया गया है ।

(iv) तेन्दूपत्ते का व्यापार

वर्ष 2010 संग्रहण काल में संघ द्वारा प्रदेश की कुल 897 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से तेंदूपत्ते का संग्रहण कराया गया । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों से तेन्दूपत्ता एवं अन्य लघु वनोपज संग्रहण नहीं किया जाना है, अतः इन क्षेत्रों में भी विगत वर्षों की भाँति वर्ष 2010 में भी तेन्दूपते संग्रहण नहीं किया गया है । तेंदूपत्ते की संग्रहण दर 700/- प्रति मानक बोरा निर्धारित की गई । सम्पूर्ण प्रदेश में बीड़ी बनाने योग्य अनुमानित उत्पादन के लक्ष्य 16.39 लाख मानक बोरा के विरूद्ध अच्छी गुणवत्ता का 15.45 लाख मानक बोरा तेंदूपत्ते का संग्रहण किया गया । पूरे भारतवर्ष में तेन्दूपत्ता की फसल में कमी होने के कारण छत्तीसगढ़ में भी उत्पादन में कमी हुई । अग्रिम में नियुक्त क्रेताओं को संग्रहण केन्द्रों पर ही संग्रहित 15.45 लाख मानक बोरा का परिदान दिया गया, जिसका विक्रय मूल्य रू. 335.30 करोड़ हैं । अग्रिम विक्रय में औसत विक्रय दर रू. 2170.21/- प्रति मानक बोरा प्राप्त हुई । जिला यूनियनवार अग्रिम विक्रय का विवरण **परिशिष्ट 'ख'** में संलग्न है । तेंदूपत्ता कार्य में संलग्न विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि का भी भुगतान संघ की ओर से किया जाता हैं ।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2011 में लगभग 16.39 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है । उक्त तेन्दूपत्ता के अग्रिम में निवर्तन हेतु दिनांक 02.01.2011, 18.01.2011, 31.01.2011 एवं 04.03.2011 को निविदायें आमंत्रित की गई । उक्त तिथियों में प्राप्त निविदाओं में अनुमानित मात्रा 16.28 लाख मानक बोरा रू. 423.99 करोड़ में विक्रय किया गया, जिससे औसत विक्रय दर रू. 2605/- प्रति मानक बोरा प्राप्त हुई । जिला यूनियनवार निवर्तित लाटों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 'ग'** में संलग्न है ।

(v) सालबीज का व्यापार

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रदेश के 13 सालबीज उत्पादक जिलों में वर्ष 2009 में संग्रहित एवं गोदामीकृत 8.86 लाख क्विंटल सालबीज का विक्रय रु. 582/- प्रति क्विंटल की औसत दर पर रूपये 51.07 करोड़ में किया गया ।

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा प्रदेश के 13 सालबीज उत्पादक जिलों में वर्ष 2010 में संग्रहित होने वाले सालबीज अग्रिम निर्वर्तन में प्रदेश की 38 इकाईयों में की अनुमानित लक्ष्य 2.49 लाख किंवटल था । इन 38 इकाईयां में से 22 इकाईयों की अनुमानित 2.41 लाख क्विंटल मात्रा का अग्रिम में विक्रय हुआ था । अग्रिम विक्रय में सालबीज की औसत विक्रय दर रूपये 496/- प्रति किंवटल रही थी । 16 इकाइयों का अग्रिम निर्वर्तन नहीं हो सका था ।

जिला यूनियन से प्राप्त जानकारी अनुसार भंडारित मात्रा 1.34 लाख क्विंटल सालबीज का विक्रय रु. 503/- प्रति क्विंटल की औसत दर पर रूपये 6.76 करोड़ में किया गया । लाटवार/जिला यूनियनवार विस्तृत जानकारी **परिशिष्ट 'घ'** में संलग्न है ।

संग्रहण वर्ष 2010 के सालबीज संग्राहकों को संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान रू. 500/- प्रति क्विंटल की दर से कुल रूपये 6.72 करोड़ किया गया ।

(vi) हर्रा का व्यापार

संघ द्वारा प्रदेश के 15 जिलों में अग्रिम में विक्रित हर्रा प्राथमिक समितियों के पर्यवेक्षण में क्रेता द्वारा तथा अग्रिम में अविक्रित हर्रा प्राथमिक समितियों के द्वारा संग्रहित किया जाता है ।

वर्ष 2009-10 में 27563.260 क्विंटल हर्रा, 2201.780 क्विंटल कचरिया एवं 13. 120 क्विंटल बालहर्रा का संग्रहण किया गया है, जिसमें से अब तक 27449.000 क्विंटल हर्रा, 2199.530 क्विंटल कचरिया एवं 13.120 क्विंटल बालहर्रा विक्रय हो चुका है, जिसका विक्रय मूल्य रूपये 1.37 करोड़ हैं । 69.885 क्विंटल हर्रा विक्रय हेतु शेष हैं ।

संग्रहण वर्ष 2010-11 में कुल 39 इकाईयों में से 30 इकाईयों का अग्रिम में निवर्तित किया जाकर हर्रा संग्रहण का कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2010-11 में हर्रा की संग्रहण दर रु 450/- प्रति क्विंटल, कचरिया की रु. 1125/- प्रति क्विंटल तथा बाल हर्रा की रूपये 3150/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई हैं । वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में जिला यूनियनवार निर्वर्तित इकाईयों की विस्तृत जानकारी क्रमशः **परिशिष्ट 'ड़', एवं 'च'** में संलग्न प्रेषित है ।

(vii) गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) का व्यापार

कुल्लू वृक्षों में पुनरूत्पादन की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए कुल्लू गोंद संग्रहण दंतेवाड़ा, बस्तर एवं कांकेर जिले को छोड़कर पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित है । संघ द्वारा इन जिलों में कुल्लू गोंद संग्रहण प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण में अग्रिम में नियुक्त क्रेता माध्यम से कराया जा रहा है । वर्ष 2009-10 में कुल्लू गोंद की संग्रहण दर रू. 17000/- प्रति क्विंटल प्रथम श्रेणी के लिये तथा रू. 11000/- द्वितीय श्रेणी के लिये शासन द्वारा निर्धारित की गई है । संग्रहण वर्ष 2009-10 में प्रथम श्रेणी के 1749.465 क्विंटल तथा द्वितीय श्रेणी के 0.670 क्विंटल गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) संग्रहण किया गया । गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) संग्रहित मात्रा का

निर्वर्तन अग्रिम क्रेता नियुक्त कर कुल रू. 313.33 लाख में किया गया है । औसत विक्रय दर रू. 17903/- प्रति क्विंटल प्राप्त हुई है ।

शासन द्वारा संग्रहण वर्ष 2010-11 के लिये गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) प्रथम श्रेणी के लिये संग्रहण दर रू. 22000/- प्रति क्विंटल एवं द्वितीय श्रेणी के लिये रू. 15000/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है तथा प्रदेश की 5 इकाईयों को अग्रिम में निवर्तित किया गया हैं । वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 के कुल्लू गोंद के संग्रहण एवं विक्रय का जिला यूनियनवार विस्तृत विवरण क्रमशः **परिशिष्ट 'छ' एवं 'ज'** में संलग्न है ।

(viii) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा/खैर/बबूल)

वर्ष 2009-10 सीजन में प्रदेश की गोंद वर्ग-2 (धावड़ा/खैर/बबूल) की 8 इकाइयों में 380.25 क्विंटल धावड़ा गोंद एवं 239.00 क्विंटल खैर/बबूल गोंद संग्रहण किया गया । वर्ष 2009-10 हेतु संग्रहण दर निम्नानुसार निर्धारित थी :-

1. खैर/बबूल - 1650/- प्रति क्विंटल
2. धावड़ा - 2750/- प्रति क्विंटल

संग्रहित 380.25 क्विंटल धावड़ा गोंद एवं 239.00 क्विंटल खैर/बबूल गोंद का विक्रय रू. 19.49 लाख में किया जा चुका है ।

संग्रहण वर्ष 2010-11 में कुल 21 इकाईयों में से 6 इकाईयों का अग्रिम में निवर्तित किया जाकर गोंद वर्ग-2 संग्रहण का कार्य प्रगति पर है । वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में जिला यूनियनवार निर्वर्तित इकाईयों का विस्तृत विवरण क्रमशः **परिशिष्ट 'झ' एवं 'ञ'** में संलग्न है ।

(ix) वर्ष 2008 एवं वर्ष 2009 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2008 में कुल 13.78 लाख मानक बोरा का संग्रहण किया गया था । उक्त तेंदूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि रूपये 65.73 करोड़ 780 लाभ वाली समितियों में वितरित करने हेतु जिला यूनियन को उपलब्ध कराई गई । समितियों द्वारा राशि रूपये 65.61 करोड़ जन प्रतिनिधियों के समक्ष वितरित की गई । शेष प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण कार्य प्रगति पर है । संग्रहण वर्ष 2008 में जिला यूनियनवार लाभ में रही समितियों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण योग्य राशि एवं वितरित राशि का विवरण **परिशिष्ट 'ट-1'** में संलग्न हैं ।

तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2009 में कुल 14.67 लाख मानक बोरा का संग्रहण किया गया था । मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया है कि तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2008 से लाभ का विभाजन निम्नानुसार किया जावे :-

क. 80 प्रतिशत राशि संग्राहकों को ''प्रोत्साहन पारिश्रमिक'' के रूप में वितरित की जाये ।

ख. 15 प्रतिशत राशि संग्राहकों समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के व्यापार हेतु उपलब्ध कराई जाये । यह राशि समितियों को अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय एवं

विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु उपलब्ध कराई जाएगी । समितियों द्वारा यह कार्य लघु वनोपज संघ के मार्गदर्शन में किया जाएगा ।

ग. शेष 5 प्रतिशत राशि का उपयोग घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु परिक्रमण निधि के रूप में संघ मुख्यालय में सुरक्षित रखी जाये ।

उक्त निर्णय अनुसार वर्ष 2009 के तेंदूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय घटाकर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि रूपये 92.31 करोड़ 831 लाभ वाली समितियों में वितरित करने हेतु जिला यूनियन को उपलब्ध कराई गई । समितियों द्वारा प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण कार्य किया जा रहा है । संग्रहण वर्ष 2009 में जिला यूनियनवार लाभ में रही समितियों में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में वितरण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि का विवरण **<u>परिशिष्ट 'ट-2'</u>** में संलग्न हैं ।

(x) मूलभूत सुविधा विकास के कार्य

तेन्दूपत्ता के व्यापार से प्राप्त आय (व्यय को घटाकर) की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है । मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2007 तक राशि जिला यूनियनों के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जा चुकी हैं । उक्त कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश समय-समय पर जिला यूनियन को दिये गये हैं । वर्ष 1999-2000 से वर्ष 2007 तक जिला यूनियनवार कुल उपलब्ध कराई गई राशि रु. 76.46 करोड़ एवं प्राथमिक समितियों द्वारा कराये गये कार्यो पर व्यय की गई राशि रु. 51.27 करोड़ का वर्षवार विस्तृत विवरण **<u>परिशिष्ट 'ठ'</u>** में संलग्न है ।

(xi) वन एवं वनोपज विकास के कार्य

राष्ट्रीयकृत वनोपज के व्यापार के लाभ-व्यय घटाकर प्राप्त शुद्ध राशि के 15 प्रतिशत राशि से वन एवं वनोपज का विकास कार्य कराये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है, जिसमें वन क्षेत्र में, राजस्व क्षेत्र में वन विभाग के सहयोग से लघु वनोपज के उत्पादन में वृद्धि हेतु संरक्षण, संवर्द्धन एवं रोपण कार्य कराये जाते हैं । इस योजना के तहत वनमंडल के अन्तर्गत आने वाले प्राथमिक वनोपज समितियों के क्षेत्र में निम्न कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जा रहे हैं :-

1. वन विहीन राजस्व एवं वन विभाग की भूमियों पर स्थानीय मिश्रित प्रजातियों का रोपण ।
2. विभिन्न समितियों के वन विहीन उपयुक्त क्षेत्रों में बांस रोपण ।
3. विभिन्न समितियों के क्षेत्र में परम्परागत रूप से विद्यमान लघु वनोपज जैसे हैरा, आंवला, बहेड़ा, माहुल पत्ता, ईमली एवं अन्य प्रमुख रूप से पायी जाने वाली लघु वनोपज प्रजातियों का बिगड़े वन क्षेत्र में रोपण ।
4. बिगड़े वन क्षेत्रों में सुधार एवं प्रमुख रूप से पायी जाने वाली लघु वनोपज प्रजातियों का रोपण ।
5. बिगड़े वन क्षेत्रों में तथा उससे लगे हुए रिक्त राजस्व वन क्षेत्रों में भूमि एवं जल संरक्षण कार्य तथा स्थानीय वनोपज प्रजातियों के रोपण का कार्य ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 1998 से 2004 एवं सालबीज संग्रहण वर्ष 2007 की उक्तानुसार आय की रूपये 55.47 करोड़ की राशि से वन एवं वनोपज के विकास संबंधी कार्य कराये जाने हैं । इस हेतु जिला यूनियनों को रूपये 55.47 करोड़ की राशि उपलब्ध भी कराई जा चुकी है । जिला यूनियनवार इस हेतु उपलब्ध राशि एवं संघ द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि का वर्षवार विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 'ड'** में संलग्न है ।

(xii) संघ मुख्यालय एवं जिला यूनियनों के लेखाओं का कम्प्यूटीकरण -

संघ मुख्यालय स्तर पर लेखा संधारण का कार्य ''टैली साफ्टवेयर'' के माध्यम से किया जा रहा हैं । लेखाओं के कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था से लेखा तैयार करने में समय की बचत तो हुई ही हैं, लेखाओं के गुणात्मक विश्लेषण में भी सुधार हुआ हैं । संघ के वित्तीय वर्ष 2009-10 के अंतिम वित्तीय पत्रक (व्यापार पत्रक, लाभ-हानि पत्रक, बैलेंसशीट) तैयार किये जा चुके हैं । इस प्रकार वनोपज संघ का लेखा तैयार करने की दृष्टि से अद्यतन हैं ।

(xiii) संघ विभाजन संबंधी विवाद

राज्य पुर्नगठन के फलस्वरूप 31.10.2000 की स्थिति में पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ का विभाजन कर पश्चात्वर्ती मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित भोपाल एवं छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ मर्यादित रायपुर का गठन हुआ हैं । उक्त विभाजन में आस्तियों एवं दायित्वों का न्यायोचित विभाजन नहीं किये जाने के कारण तथा आपसी सहमति हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के प्रयासों को संघ भोपाल द्वारा क्रियान्वित नहीं करने के फलस्वरूप संचालक मण्डल के द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार रूपये 93.27 करोड़ की विवादित राशि के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर में विविध याचिका क्रमांक 4958/2008 दायर की गई है जो माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

(xiv) ई-मनी ट्रान्सफर -

वनोपज के क्रेताओं को देश के किसी भी स्थान से राशि जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ई-मनी ट्रान्सफर की व्यवस्था लागू की गई है । यह सुविधा भारतीय स्टेट बैंक एवं पंजाब नेशनल बैंक के खातों में उपलब्ध है । इसी प्रकार क्रेताओं द्वारा विभिन्न जिला यूनियनों में जमा कराई गई राशि को जिला यूनियनों द्वारा संघ मुख्यालय के खातों में ट्रान्सफर करने में होने वाले विलंब को दृष्टिगत रखते हुए अब सभी जिला यूनियनों में कोर बैंकिग के माध्यम से संघ मुख्यालय, रायपुर स्थित खाते मे राशि सीधे जमा कराई जा रही हैं ।

जिला वनोपज यूनियनों को विभिन्न कार्यो के सम्पादन हेतु अग्रिम राशि उपलब्ध कराने के लिये भारतीय स्टेट बैंक की मंत्रालय शाखा में प्रचलित खाता क्रमांक 30735345823 से राशि आहरण के अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसके लिए संघ द्वारा सभी जिला यूनियनों को धनादेश पुस्तिकाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं ।

(xv) चरणपादुका का वितरण -

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के प्रति संवेदनशीलता दर्शाते हुये छत्तीसगढ़ शासन द्वारा गतवर्ष के भांति ही प्रत्येक तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक पुरूष सदस्य को एक जोड़ी चरणपादुका

वितरित करने का निर्णय लिया गया था । फलस्वरूप वर्ष 2010-11 में 13.76 लाख जोड़ी चरणपादुकाएँ रूपये 105/- प्रति जोड़ी की दर से क्रय कर वितरित की जा रही है, जिला यूनियनवार उपलब्ध कराई गई चरणपादुका की क्रय एवं वितरण की जानकारी **परिशिष्ट-ढ'** में संलग्न है । इस हेतु छत्तीसगढ़ शासन से रूपये 10.00 करोड़ की राशि संघ को उपलब्ध करायी गयी थी ।

छ.ग. शासन वन विभाग द्वारा वर्ष 2011 में तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के सदस्य को चरणपादुका वितरण हेतु निम्नानुसार निर्देश दिये गये हैं :-

1. तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवारों को सदस्य को चरणपादुका वितरित की जाये । महिला सदस्य को उनकी इच्छानुसार चप्पल वितरित की जाये ।

2. 1.00 लाख चिन्हांकित सदस्यों को छागल वितरण प्रयोग के रूप में किया जाये, उनसे इनकी उपयोगिता की जानकारी प्राप्त कर आगामी वर्ष में इसके बारे में निर्णय लिया जायेगा ।

माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा दिनांक 15.10.2010 को डोंगरगॉव (मोहड़) में घोषणा की थी कि इस वर्ष महिलाओं को चप्पल वितरित की जावे । इस हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा रूपये 10.00 करोड़ की राशि संघ को उपलब्ध करायी गयी है । अतः शासन निर्णय के पालन में वर्ष 2011 में भी गतवर्ष की भॉंति प्रदेश के लगभग 12.50 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक महिला सदस्य को एक जोड़ी चप्पल उपलब्ध कराने हेतु चप्पल क्रय हेतु संघ कार्यालय की अधिसूचना क्रमांक चप्पल/2011/I दिनांक 18.01.2011 द्वारा चप्पल क्रय हेतु जारी कर दिनांक 24.02.2011 तक E-Tender के माध्यम से निविदाएँ आमंत्रित की गई थी ।

निविदाओं पर शीघ्र निर्णय लेकर क्रय आदेश जारी किये जावेंगे । क्रय की जाने वाली चप्पलों का वितरण वर्ष 2011-12 में किया जावेगा ।

छागल के नमूनें एवं निर्माण कर्ताओं की जानकारी प्राप्त की जा रही है । वर्तमान में छागल का उपयोग अत्यन्त कम होने से, बड़े छागल निर्माताओं की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है ।

अतः तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के एक महिला सदस्य को चप्पल वितरित एवं छागल क्रय करने के सम्बंध में लघु वनोपज संघ द्वारा अब तक की गई कार्यवाही से आमसभा को अवगत कराने एवं आवश्यक सुझाव/मार्गदर्शन देने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है ।

(xvi) प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के प्रबंधकों का समूह बीमा -

वर्ष 2010-11 में प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के 849 समिति प्रबंधकों का भारतीय जीवन बीमा निगम की समूह बीमा योजनान्तर्गत बीमा कराया गया, जिसमें प्रबंधक की सामान्य मृत्यु पर रू. 25,000/- तथा दुर्घटनाजन्य मृत्यु पर रू. 50,000/- उनके आश्रितों को उपलब्ध हो सके । प्रबंधकों के बीमा प्रीमियम की राशि का एकमुश्त भुगतान संघ मुख्यालय द्वारा किया गया । वर्ष 2011-12 के लिये प्रबंधकों की समूह बीमा योजना के नवीनीकरण हेतु समस्त जिला यूनियनों से प्रबंधको की सूची प्राप्त की जा रही है ।

(xvii) जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के संचालक सदस्यों का सहकारिता अंतर्गत् प्रशिक्षण

जिला यूनियन के संचालक सदस्यो को सहकारिता के अंतर्गत् अधिकार एवं कर्तव्य तथा दायित्व संबंधी ज्ञानार्जन हेतु राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षको द्वारा विभिन्न चरणो में प्रशिक्षण दिया जा रहा है । गत् वर्ष 10 जिला यूनियन के संचालक सदस्यो के लिये वन विद्यालय महासमुन्द एवं जगदलपुर में सहकारी प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था । इस आलोच्य वर्ष में 9 जिला यूनियन के संचालक सदस्यो को क्रमशः वन विद्यालय महासमुन्द एवं जगदलपुर में 17.01.2011 से 21.01.2011 तक प्रशिक्षण दिया जाना था । महासमुन्द वन विद्यालय में 4 जिला यूनियन के संचालक सदस्यों में से मात्र 5 सदस्य उपस्थित रहे । उपस्थिति न्यून होने के कारण प्रशिक्षण निरस्त किया गया । वन विद्यालय जगदलपुर में 5 जिला यूनियन के संचालक सदस्यों में से 11 संचालक सदस्यों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया ।

(xviii) जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के अध्यक्षों का गुजरात को-आपरेटिव मिल्क फेडरेशन, आनंद, शैक्षणिक भ्रमण -

संघ के संचालक मण्डल के निर्णय अनुसार जिला यूनियन के अध्यक्षो को शैक्षणिक प्रशिक्षण हेतु गुजरात को-आपरेटिव मिल्क फेडरेशन, आनंद भेजा जाना निर्देशित था । राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा आबंटित तिथियों 17 एवं 18 फरवरी 2011 को 17 जिला यूनियन के अध्यक्षो द्वारा गुजरात को-आपरेटिव मिल्क फेडरेशन, आनंद का भ्रमण एवं प्रशिक्षण प्राप्त किया गया ।

(xix) अकाष्ठीय वनोपज विकास

1. संसाधन संवर्धन -

छत्तीसगढ़ राज्य में अकाष्ठीय वनोपज से समृद्ध वन क्षेत्रों का संवर्धन करने हेतु **''लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना''** (पी.पी.ए.) की जा रही है । राज्य शासन द्वारा आदिवासी उपयोजना मद से प्राप्त अनुदान से 7857 हेक्टेयर में कुल 8 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना एवं संघ मद से प्राप्त राशि से 12896 हेक्टेयर में 13 लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना वर्ष 2010-11 में की गयी है । इसके अतिरिक्त विगत दो वर्षों में संघ मद एवं आदिवासी उपयोजना मद से स्थापित लोक संरक्षित क्षेत्रों के 22881 हेक्ट. क्षेत्रफल में रख-रखाव के कार्य भी किये जा रहे है । वर्ष 2010-11 में परियोजना के लिये संघ मद से रू. 299.00 लाख प्राप्त कर कार्य किया जा रहा है परंतु आदिवासी उपयोजना मद से राशि प्राप्त नही हुई है । परियोजना अंतर्गत मूल्यवान अकाष्ठीय वनोपज प्रजातियों के अन्तः स्थलीय संवर्धन, प्रसंस्करण, औषधि निर्माण तथा स्थानीय ग्रामीणों व कर्मचारियों की क्षमता विकास आदि जैसे कार्य संपादित किये जा रहे है । वर्ष 2011-12 में इस कार्य हेतु आदिवासी उपयोजना मद से 250 लाख रूपये एवं संघ मद से रूपये 277.44 लाख का प्रावधान रखा गया है ।

2. कच्चे लघु वनोपज का संग्रहण एवं प्रसंस्करण

2.1 कच्चे लघु वनोपज संग्रहण

राज्य में कच्चे लघु वनोपज संग्रहण करने हेतु बाजार मांग एवं उपलब्धता को देखते हुए अधिक बाजार मांग वाली प्रजातियों का चयन कर ग्राम एवं हाट बाजार स्तर पर स्व सहायता समूह के माध्यम से क्रय करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है । स्व सहायता समूह कच्चे लघु वनोपज क्रय करने पश्चात नजदीकी NWFP मार्ट में उसका विक्रय कर राशि प्राप्त कर सकते है । लघु वनोपज का विनाश विहीन विदोहन पद्धति से संग्रहण एवं बाजार मानक के अनुरूप प्रसंस्करण हेतु समय समय पर हितग्राहियों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है ।

2.1.1. अराष्ट्रीयकृत वनोपज का क्रय

शासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि संग्रहण वर्ष 2008 से तेन्दूपत्ते की आय से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज जैसे इमली, महुआ, चिरौंजी आदि का क्रय विक्रय, भंडारण एवं प्रसंस्करण का कार्य किया जावे । इस हेतु वर्ष 2008 के व्यापार से रूपये 12.31 करोड़ तथा वर्ष 2009 के व्यापार से रूपये 17.59 करोड़ की राशि उपलब्ध है । स्व सहायता समूह इस हेतु प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति से अग्रिम प्राप्त कर अपनी इच्छानुसार लघु वनोपज का क्रय विक्रय कर आय अर्जित कर सकते है । स्व सहायता समूह के प्रत्येक सदस्य को रूपये 2000/- तक अग्रिम का ऋण समिति के द्वारा उपलब्ध कराया जा सकेगा । वनोपज के क्रय विक्रय के दर निर्धारण का अधिकार स्व सहायता समूहों को ही रहेगा ।

2.2 लाख विकास

वर्ष 2010-11 में लाख विकास योजना बजट मद में राशि रु0 200.00 लाख का बजट प्रावधान किया जाकर कई परियोजनायें प्रारंभ की गई । 200 ग्रामीण युवाओं को लाख पालन में प्रशिक्षित किया जाकर फिल्ड फेसिलिटेटर के रुप कार्य लिया जा रहा है । जगदलपुर, कांकेर, रायपुर, दुर्ग, विलासपुर एवं सरगुजा में लाख फेसिलिटेशन सेंटर स्थापित किया गया है, जहाँ ग्रामीणों को अच्छी तकनीक से लाख खेती के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध करायी जा रही है तथा राज्य में लाख खेती के पालन संबंधित गतिविधियों को अपेक्षित गति देने में भी हितग्राहियों को सहायता दी जा रही है । जिला यूनियन खैरागढ़ (2), बिलासपुर (2), दुर्ग, महासमुन्द, पूर्व रायपुर, मनेन्द्रगढ़ (3), रायपुर (4), कोरबा, रायगढ़, धरमजयगढ़, मरवाही में कुल 120.60 लाख की लागत से 19 लाख पालन के माईक्रोइंटरप्राईजेस संचालित किये जा रहे है । वर्ष 2010-11 में जिला यूनियन कांकेर में राज्य स्तरीय लाख विस्तार एवं प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना हेतु राशि रूपये 50.00 लाख को जिला यूनियन कांके को प्रदाय किया गया है । लाख पालन एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु परियोजना क्षेत्रों में चूने एवं गेरू से लाख आधारित स्लोगन लिखे जाने हेतु कुल राशि रूपये 4.76400 लाख तथा परियोजना क्षेत्रों में परियोजना से संबंधित होडिंग लगाने हेतु कुल राशि रूपये 2.70 लाख संबंधित जिला यूनियनों को प्रदान किया गया है । उपरोक्त कार्यो को अनुश्रवण हेतु माननीय वन मंत्रीजी की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय लाख

समिकति की पंचम बैठक का आयोजन दिनांक 31.01.2011 को किया गया, जिसमें लाख खेती एवं प्रसंस्करण को बढ़ावा देने हेतु महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये ।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना :-

राज्य के वनांचल क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को लाख पालन एवं प्रसंस्करण के माध्यम से आय के साधन उपलब्ध कराने हेतु छ.ग.राज्य लघुवनोपज संघ द्वारा स्वर्ग जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत् लाख पालन एवं प्रसस्करण माईक्रोइंटरप्राईस स्थापना नामक परियोजना 26 जिला यूनियनों में संचालित की जा रही है, जिसके तहत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले 13204 हितग्राहियों को लाभान्वित किये जाने की योजना की अवधि वर्ष 2009-10 से वर्ष 2013-14 तक होगी । परियोजना की कुल लागत राशि रूपये 14.97 करोड़ है । प्रथम किश्त के रूप में रूपये 2.8084 करोड़ (दो करोड़, अस्सी लाख चौरासी हजार) की राशि भारत शासन द्वारा रूपये 0.93 करोड़ राज्य शासन द्वारा प्रदाय की गई है । योजना के प्रथम वर्ष के क्रियान्वयन हेतु राज्य के रायगढ़, कोरबा, धरमजयगढ़, कटघोरा, रायपुर, उत्तर कोण्डागांव, दक्षिण कोण्डागांव तथा जांजगीर-चांपा जिला यूनियनों को छोड़कर शेष जिला यूनियनों में लाख पालन माईक्रोइंटरप्राईजेस परियोजना प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान किया जाकर क्रियान्वयन प्रारंभ किया जा चुका है । वर्ष 2011-12 के लिए इस योजना अंतर्गत् राशि रूपये 279.00 लाख का प्रावधान है ।

2.3 माहुल पत्ता प्रसंस्करण

राज्य में बहुतायत में माहुल पत्ता का उत्पादन होता है । पूर्व में माहुल पत्ता को संग्रहण कर सीधे अन्य राज्यों में बिक्री किया जाता था । स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु 20 माहुल पत्ता प्रसंस्करण ईकाईयों की स्थापना की गयी है । जिसके माध्यम से माहुल दोना पत्तल निर्माण कर विक्रय किया जाता है ।

2.4 शहद संग्रहण एवं प्रसंस्करण

राज्य के वन क्षेत्रों से उत्तम गुणवत्ता की शहद बहुतायत में प्राप्त होती है । शहद संग्राहकों को उचित मूल्य दिलाने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों में संग्राहकों से सीधे शहद क्रय किया जाता है । जिसका प्रसंस्करण जिला यूनियन बिलासपुर, जशपुर नगर, कवर्धा तथा पूर्व भानुप्रतापपुर में स्थापित प्रसंस्करण केन्द्र द्वारा किया जाता है ।

2.5 इमली संग्रहण एवं प्रसंस्करण

संग्रहण वर्ष 2011 में बस्तर संभाग में कुल 64,334 क्विं. इमली के संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है, ताकि आदिवासियों को उनके द्वारा संग्रहित इमली का उपयुक्त मूल्य प्राप्त हो सके । अधिकांश इमली का भंडारण दंतेवाडा स्थित शीतगृह में किया जावेगा ।

2.6 वनौषधि निर्माण

वर्तमान में कटघोरा, मरवाही जिला यूनियनों में स्थापित औषधि निर्माण केन्द्रों में औषधि तैयार किये जा रहे विभिन्न हर्बल उत्पादों को स्थानीय संजीवनी केन्द्र तथा NWFP मार्ट के माध्यम से विक्रय किया जा रहा हैं । वर्तमान में उपरोक्त केन्द्रों के माध्यम से लगभग 45 हर्बल उत्पाद तैयार होकर विक्रय किये जा रहे हैं । वर्तमान में इन उत्पादों की उत्पादन से अधिक मांग है । इनके पैकेजिंग आदि में आवश्यक सुधार करने हेतु कार्यवाही जारी है ।

3. विपणन

अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज विपणन हेतु सुनिश्चित व्यवस्था निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य के 6 वन वृत्त मुख्यालयों में NWFP मार्ट की स्थापना की गई है । इस व्यवस्था के अंतर्गत संबंधित वृत्त में स्थानीय संग्राहक / स्व-सहायता समूह/ वन समिति/ प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा संग्रहित एवं प्रसंस्कृत लघु वनोपज को निश्चित दर पर क्रय किया जा रहा है । इसके पश्चात उपरोक्त उत्पाद का थोक या रिटेल विक्रय किया जा रहा है । हर्बल उत्पाद बिक्री हेतु ‘‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’’ ब्रांड नाम को बढ़ावा दिया जा रहा है । विभिन्न माध्यम जैसे - इलेक्ट्रानिक मीडिया, रेडियो, एस.एम.एस., होर्डिंग्स, ब्रोशर, पाम्पलेट्स द्वारा उत्पादों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है ।

प्रत्येक NWFP मार्ट संचालन हेतु एक सीनियर एवं जूनियर एक्सीक्यूटिव मार्केटिंग की नियुक्ति की गई है । इन मार्ट की वित्तीय वर्ष 2010-11 मे जनवरी 2011 तक क्रय विक्रय की प्रगति नीचे तालिका में दर्शाया गया है ।

वर्ष	क्रय मूल्य (रू. लाख में)	विक्रय मूल्य (रू. लाख में)
2010-11	123.04	163.35

- राज्य में रिटेल विक्रय बढ़ाने हेतु नीचे तालिका में दर्शाए अनुसार विभिन्न स्थानों में कुल 43 संजीवनी स्थापित किए गए है ।
- हर्बल उत्पाद बिक्री हेतु ‘‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’’ ब्रांड नाम को बढ़ावा दिया जा रहा है । विभिन्न जिला यूनियनों की प्राथमिक वनोपज समितियों द्वारा तैयार हर्बल उत्पादों की एकरूपता के साथ पैकेजिंग, लेबलिंग एवं डिजाइनिंग का कार्य किया गया है ।
- राज्य में रिटेल विक्रय बढ़ाने हेतु नीचे तालिका में दर्शाए अनुसार विभिन्न स्थानों में कुल 43 संजीवनी स्थापित किए गए है ।

संजीवनी केन्द्र स्थापना प्रगति

क्र.	वृत्त का नाम	स्तर			
		मार्ट स्तर पर	परिक्षेत्र/विकासखंड स्तर पर	जिला यूनियन स्तर पर	कुल
1.	रायपुर	1	9	1	11
2.	बिलासपुर	1	4	5	10
3.	दुर्ग	1	4	2	7
4.	कांकेर	1	0	4	5
5.	सरगुजा	1	3	2	6
6.	जगदलपुर	1	0	3	4
	योग	**6**	**20**	**17**	**43**

4. यूरोपियन कमीशन परियोजना -

छत्तीसगढ़ राज्य में लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्यों को बढ़ावा देकर, ग्रामीणों को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यूरोपियन कमीशन की आर्थिक सहायता से एक परियोजना शासन द्वारा स्वीकृत की गई है । इसकी कुल लागत रू. 21.20 करोड़ है, तथा यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से प्रारंभ होकर, तीन वर्ष तक क्रियान्वित होनी थी बाद में उक्त परियोजना की अवधि बढ़ा दी गई है । योजना के कियान्वयन हेतु अब तक कुल राशि रू. 1683.00 लाख प्राप्त हुई है ।

इस परियोजना के अंतर्गत संसाधन सर्वेक्षण, लघु वनोपज संग्रहण, प्रसंस्करण, विपणन, सूचना प्रबंधन प्रणाली, अनुसंधान एवं विस्तार, प्रमाणीकरण तथा क्षमता विकास आदि कार्य क्रियान्वित किये जा रहे है । परियोजना की घटकवार प्रगति निम्नानुसार है ।

I- परियोजना का घटकवार विवरण

1. संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा

(1.1) संसाधन सर्वेक्षण - परियोजना अंतर्गत राज्य में वर्ष 2007 एवं 2008 में क्रमशः 2358 एवं 2476 सेम्पल प्लाटों में संसाधन सर्वेक्षण कर आंकड़े एकत्र किये गये है । वन विकास निगम के क्षेत्र में वर्ष 2010 में 78 सैम्पल प्लाट के आकड़े एकत्रित किये गये हैं । प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए एफ.एस.आई. देहरादून से डाटा एनालिसिस साफ्टवेयर तैयार कराया गया है । भारतीय वानस्पति सर्वेक्षण इलाहाबाद से तकनीकी सहायता ली जा रही हैं ।

(1.2) हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा -हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 21 स्थानों का चयन कर परम्परागत औषधियों का अभिलेखन किया गया है । वर्ष

2008-09 एवं 2009-10 में 21 स्थानों पर 418 वैद्यों का साक्षात्कार कर 3351 औषधियों की जानकारी एकत्र की गई है । सर्वेक्षित 21 स्थानों में उपयुक्त स्थल का चयन कर 43 वनौषधालयों की स्थापना का कार्य कराया जा रहा है । इस हेतु राशि रू. 3.075 लाख प्रति वनौषधालय के निर्माण व साज सज्जा हेतु सम्बंधित जिला यूनियनों को प्रदाय की गयी है । परंपरागत वैद्यों द्वारा वनौषधालय में सेवा प्रदाय किये जाने हेतु राशि रू. 100 प्रतिदिन के मान से प्रतिमास 26 कार्यदिवस हेतु मानदेय प्रदाय किया जा रहा है । परंपरागत औषधियों का वैज्ञानिक प्रमाणीकरण हेतु संघ स्तर पर चार आयुर्वेद चिकित्सकों का दल गठित कर कार्य कराया जा रहा हैं । अति उपयोगी पाये गये 9 परम्परागत वन औषधि को अनुसंधान हेतु केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्धा अनुसंधान परिषद नई दिल्ली भेजा गया है ताकि उपयुक्त पाये जाने पर इन औषधियों का निर्माण कर व्यावसायिक उपयोग किया जा सकें ।

2. लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य

इस घटक के अंतर्गत लघु वनोपज आधारित माइक्रोइन्टरप्राइजेस स्थापित किये गए हैं । प्रत्येक माइक्रोइन्टरप्राइजेस में आवश्यकतानुसार लघु वनोपज उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन के कार्य, प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति/वन समिति/स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है । इस घटक के अंतर्गत माइक्रोइन्टरप्राइज को चार वर्गों में वर्गीकृत किया गया है ।प्रत्येक वर्ग में किये जा रहे मुख्य कार्य एवं चयनित मुख्य लघु वनोपज संक्षेप में नीचे दर्शाये गए हैं ।

क्र.	**वर्ग**	**माइक्रो इन्टरप्राइजेस के नाम**	**मा.ई. की संख्या**	**स्वीकृत कुल राशि (रू. लाख में)**
2.1	लघु वनोपज उत्पादन	लाख पालन	16	291.00
		शहद संग्रहण	4	33.00
2.2	लघ वनोपज संग्रहण	कच्चे वनोपज संग्रहण	16	94.60
2.3	लघु वनोपज प्रसंस्करण	इमली	5	81.00
		वनोषधि	3	60.00
		तैलीय बीज	3	60.00
		माहुल पत्ता	10	200.00
		चिरोंजी	3	30.00
		आंवला	3	30.00
		लाख	1	20.00
		हर्बल खाद्य	1	26.00
		काजू	1	69.20
2.4	लघु वनोपज विपणन	लघु वनोपज एवं हर्बल उत्पादों का समूहों के माध्यम से क्रय-विक्रय	19	49.00
		योगः-	**85**	**1043.80**

उपरोक्त माइक्रोइन्टरप्राइजेस के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों से तकनीकी परामर्श एवं रिसोर्स पर्सन की सहायता ली गई है, ताकि हितग्राही पूर्ण क्षमता से कार्य करते हुए माइक्रोइन्टरप्राइजेस का लाभ ले सकें ।

लघु वनोपज/वन उत्पाद विपणन हेतु मेलों में भाग

छत्तीसगढ़ हर्बल्स ब्राण्ड नाम के प्रचार प्रसार हेतु विभिन्न राष्ट्रीय स्तर एवं राज्य स्तरीय मेलों में भाग लिया गया, जिससे उपरोक्त हर्बल उत्पादों को विशेष पहचान मिली है । इस वर्ष संघ ने निम्नानुसार मेलों में भाग लिया ।

क्रं.	**मेला का नाम**	**स्थान**	**विक्रय राशि (लाख मे)**
1	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2010	नई दिल्ली	1.50
2	राज्योत्सव 2010	रायपुर	0.69
3	छ. ग.हस्त शिल्प बोर्ड	रायपुर	0.11
4	राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मेला	बिलासपुर	0.16
5	राज्योत्सव 2010	बिलासपुर	0.17
6	राज्योत्सव 2010	दुर्ग	0.15
		योगः-	**2.78**

3. विपणन

माइक्रोइंटरप्राइजेस द्वारा निर्मित उत्पादों के विक्रय हेतु सुव्यवस्थित मार्केट व्यवस्था हेतु इस घटक के अंतर्गत विभिन्न जिलों में "संजीवनी" के नाम से हर्बल उत्पादों के विपणन हेतु 11 प्रदर्शन सह विक्रय केन्द्र की स्थापना की गयी है । इसके लिये रू. 42.3 लाख की राशि उपलब्ध करायी गयी है । साथ ही इसके अतिरिक्त विकासखंड/परिक्षेत्र स्तर पर 20 संजीवनी की स्थापना की जा चुकी है । हर्बल उत्पादों के विक्रय को बढ़ावा देने के उददेश्य से बिलासपुर, रायपुर एवं दुर्ग जिलों में प्रत्येक संजीवनी की स्थापना के लिए रू. 1 लाख की राशि प्रदाय की गयी है । हर्बल उत्पाद के विक्रय को बढ़ावा देने हेतु निर्मित उत्पादों की पैकिंग, लेबलिंग में तकनीकी सहायता के साथ-साथ उत्पाद विक्रय हेतु आवश्यक प्रशिक्षण भी समूहों को दिया गया है । उत्पादों के बारे में पर्याप्त प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है । रायपुर NWFP मार्ट में आयुर्वेद चिकित्सक भी परामर्श हेतु सायंकाल उपलब्ध रहते हैं ।

रिटेल आऊटलेट (संजीवनी)	**उत्पाद**

3.1 मार्केट अध्ययन एवं बाजार सर्वेक्षण

अकाष्ठीय वनोपज के निर्यात की संभावना ज्ञात किए जाने हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली से बाजार सर्वेक्षण यूरोपियन कमीशन परियोजना से कराया गया है । उक्त अध्ययन में इमली, शहद, बेल, आंवला, चरौटा, हर्रा, धावड़ा, बबूल, बहेडा, कुल्लू, साल एवं लाख प्रजातियों के निर्यात संभावना ज्ञात किए जाने हेतु की गई है । छत्तीसगढ़ राज्य में लाख खेती एवं प्रसंस्करण का अध्ययन कर अभिलेखन हेतु तथा लाख आधारित उत्पादों पर बाजार सर्वेक्षण का कार्य भारतीय प्राकृतिक रॉल एवं गोंद संस्थान (IINRG) रांची के माध्यम से कराया जा रहा है । इसके अतिरिक्त उक्त परियोजना से छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में लघु वनोपज का योगदान ज्ञात किए जाने हेतु भी दि लाइवलीहुड स्कूल बेसिक्स, भोपाल से अध्ययन कराया गया है ।

4. अनुसंधान एवं विस्तार

डाबर तथा हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड बैंगलोर के विशेषज्ञों के माध्यम से 50 कच्चे लघु वनोपज की विनाश विहीन विदोहन पद्धतियों का निर्धारण तथा प्राथमिक प्रसंस्करण विधि का मानकीकरण गुणवत्ता सुधार हेतु किया गया है । अकाष्ठीय वनोपज आधारित विकास कार्य संपादित करने हेतु उत्तम संग्रहण विधि, प्रसंस्करण विधि एवं नये उत्पाद विकसित करने के लिए अनुसंधान की आवश्यकता है । इसके तहत सी.एफ.टी.आर.आई., मैसूर से इमली एवं आंवला से केण्डी, पल्प तथा स्प्रेड तैयार करने हेतु तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है तथा जगदलपुर में इमली कैन्डी प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना की गयी । सी.एफ.टी.आर. आई. मैसूर की तकनीकी सहायता से पलाश फूल, बेल एवं तिखुर से नए उत्पाद जैसे पलाश से आर.टी.एस. बेवरेज ड्राय मिक्स एवं कंजर्व (हर्बल डाई) तथा बेल से मुरब्बा स्प्रेड एवं आर.टी.एस. तैयार करने का अनुसंधान कार्य कराया जा रहा है ।

भारत शासन के पर्णपाती अनुसंधान संस्थान जबलपुर से निम्नानुसार अनुसन्धान कार्य कराया जा रहा हैं-

1. छ.ग. राज्य में साल बीज के संग्रहण से प्राकृतिक पुर्नत्पादन पर पड़ने वाल प्रभावों का आंकलन ।
2. छत्तीसगढ़ राज्य में तेन्दूपत्ता की गुणवत्ता एवं सतत् उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी का मानकीकरण ।
3. अर्जुन छाल की सतत् विदोहन पद्धति का मानकीकरण ।
4. भुई-आंवला, सालपर्णी एवं बेचांदी हेतु सतत् विदोहन पद्धति का मानकीकरण ।
5. बेल फल की लिए प्रसंस्करण तकनीकी ।

5. सूचना प्रबंधन प्रणाली

इस घटक के अंतर्गत संघ मुख्यालय को 6 वृत्त एवं 32 जिला यूनियनों के साथ कम्प्यूटर, इन्टरनेट तथा टैली साफ्टवेयर के माध्यम से जोड़कर जानकारी का आदान-प्रदान किया जा रहा है, ताकि जानकारियों के संग्रहण, संकलन एवं विश्लेषण तथा लेखा तैयार करने में समय की बचत हो एवं मानव श्रम का सही उपयोग हो ।इसके तहत 6 NWFP मार्ट तथा 2 शहद प्रसंस्करण केन्द्र बिलासपुर एवं जशपुर को कम्प्यूटर, इंटरनेट व टैली साफ्टवयेर की सुविधा दी गई है । इससे उत्पाद क्रय-विक्रय संबंधी संकलन आसानी से किया जाता है । इसी प्रकार समस्त जिला यूनियनों को लेखा तैयार करने हेतु टैली Software क्रय कर उपलब्ध कराये गये है जिससे लेखांकन कार्यो में गति आवेगी ।

6. प्रमाणीकरण

इस घटक के अंतर्गत संग्रहित, प्रसंस्कृत लघु वनोपज की गुणवत्ता पर नियंत्रण हेतु सीजीसर्ट (छत्तीसगढ़ प्रमाणीकरण सोसाइटी), रायपुर के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है । इस हेतु आवश्यकतानुसार अधोसंरचना विकास एवं प्रमाणीकरण के बारे में प्रचार-प्रसार भी इस घटक के तहत किये जा रहे हैं । वन क्षेत्रों के उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण हेतु 11 प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को चयनित किया गया है ।

7. क्षमता विकास

अकाष्ठीय वनोपज आधारित विकास में दूरगाामी परिणाम लाने हेतु प्राथमिक वनोपज समिति/वन समिति एवं स्व सहायता समूहों की क्षमता का विकास करना आवश्यक है । इसके लिए राज्य की 915 प्राथमिक वनोपज समितियों में से उपयुक्त संसाधन एवं क्षमता के आधार पर 200 समितियों को चिन्हांकित कर, क्षमता विकास कार्य किये गये हैं । इस हेतु प्रशिक्षण, क्षेत्र भ्रमण तथा कार्य शाला आदि आयोजित किये गये हैं । साथ ही वन कर्मचारियों की क्षमता विकास हेतु भी प्रयास किये गये हैं । वर्तमान में इसके अंतर्गत संघ के अधिकारी एवं कर्मचारी का भ्रमण तकनीकी संस्थान सी.एफ.टी.आर.आई., मैसूर, टेम्पकॉल चेन्नई तथा हिमालया कंपनी, बैंगलोर में कराया गया है । इसके अतिरिक्त संघ के तथा क्षेत्रीय अधिकारियों को वैद्यनाथ फार्मेसी, नागपुर तथा यूनीज्यूलस फार्मेसी, नागपुर का अध्ययन प्रवास कराया गया है । साथ ही राज्य स्तर पर वन अधिकारियों की बैठक, संसाधन सर्वेक्षण संबंधित विशेषज्ञों की बैठक तथा कच्चे लघु वनोपज विनाश विहीन विदोहन, संग्रहण तथा प्रसंस्करण पर मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण कराये गये हैं । इसके अतिरिक्त हितग्राहियों को माहुल पत्ता प्रसंस्करण, इमली प्रसंस्करण, चिरौंजी प्रसंस्करण, आंवला प्रसंस्करण, वनौषधि प्रसंस्करण, कच्चे लघु वनोपज संग्रहण, लाख पालन, शहद संग्रहण तथा

स्व-सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण के बारे में प्रशिक्षण दिया गया है । इस प्रकार कुल 7993 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया । स्व-सहायता समूहों के प्रशिक्षण हेतु क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान, बिलासपुर के सहयोग से प्रशिक्षण मार्गदर्शिका तैयार की गयी है । भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान, भोपाल के सहयोग से महुआ संग्रहण एवं प्रसंस्करण पर मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण दिया गया है । लाइवलीहुड स्कूल बेसिक्स, भोपाल के द्वारा व्यापार की योजना एवं माइक्रोइंटरप्राइजेस प्रबंधन विषय पर मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण दिया गया है तथा मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से समस्त माइक्रोइंटरप्राइजेस एवं संजीवनी के स्व-सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया गया है । ग्रासरूट संस्थान नई दिल्ली, के द्वारा अभिलेखन विषय पर 15 सीनियर एक्सीक्यूटिव को प्रशिक्षण दिया गया । BAIF पुणे के सहयोग से उद्योग एवं वित्त प्रबंधन विषय पर सीनियर एक्जीक्यूटिव को मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण दिया गया तथा इन मास्टर ट्रेनर्स के माध्यम से समस्त माइक्रोइंटरप्राइजेस एवं संजीवनी के स्व-सहायता समूहों को प्रशिक्षण दिया गया है । BAIF पुणे द्वारा प्रोग्राम, प्लानिंग एंव मॉनिटरिंग विषय पर उप प्रबंध संचालक एवं सीनियर एक्जीक्यूटिव को दक्षिण गुजरात में प्रशिक्षण दिया गया तथा इनको काजू प्रसंस्करण इकाई दक्षिण गुजरात में क्षेत्र भ्रमण कराया गया है ।

यूरोपियन कमीशन परियोजना की वित्तीय प्रगति

क्र	घटक	प्राप्त राशि (रू. लाख	व्यय राशि (रू. लाख
1	संसाधन सर्वेक्षण एवं हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा	182.20	140.33
2	लघु वनोपज आधारित जीविकोपार्जन कार्य	1054.30	661.59
3	विपणन	187.50	100.80
4	अनुसंधान एवं विस्तार	65.00	38.13
5	सूचना प्रबंधन प्रणाली (एम.आई.एस.)	101.00	87.73

6	प्रमाणीकरण	24.00	7.91
7	क्षमता विकास	69.00	43.09
	योग	**1683.00**	**1079.58**

यूरोपियन कमीशन परियोजना क्रियान्वयन में वर्ष 2009-10 तक किये गये व्यय का अंकेक्षण चाटर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा कराया गया है ।

8. यू.एन.डी.पी. - वन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत शासन द्वारा स्वीकृत जैव विविधता परियोजना

राज्य के कटघोरा जिला यूनियन में 3063.224 हेक्टेयर, जगदलपुर जिला यूनियन में 3094.165 हेक्टेयर एवं उत्तर कोंडॉगॉव जिला यूनियन में 3207.264 हेक्टेयर के मान से कुल 9364.653 हेक्टेयर जैव विविधता से समृद्ध चयनित क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों की सहभागिता से जैव विविधता संवर्धन तथा उस पर आधारित रोजगार सृजन करने हेतु रू. 250 लाख की लागत से तीन वर्षीय परियोजना यू.एन.डी.पी. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हुई है । चयनित वन क्षेत्रों के साथ उनके आसपास आने वाले ग्रामों की सीमा के भीतर के राजस्व क्षेत्रों में जन सहयोग से प्रमुख वानिकी एवं गैर वानिकी जैव विविधतता का संरक्षण करते हुये उनके सतत् एवं संपोषणीय विदोहन के आधार पर ग्रामीणों को जैव विविधतता एवं प्राकृतिक संसाधन आधारित रोजगार देने वाली गतिविधियों (जिसमें महिलाओं की विशेष भागीदारी संभव हो सके) के विकास संबंधित परियोजना प्रारंभ की गयी । वर्ष 2009-10 में परियोजना अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों यथा संसाधन सर्वेक्षण, अंतः स्थलीय संरक्षण, बाह्य स्थलीय संवर्धन, वनौषधालय स्थापना, गैरवानिकी जैव विविधता, अनुसंधान एवं विस्तार,जैविक प्रमाणीकरण, लाख पालन, ईमली, चिरौंजी व माहूल पत्ता का संग्रहण व प्रसंस्करण, कोसा पालन एवं स्व सहायता समूहों एवं वन समितियों के क्षमता विकास के कार्य किये गये है । इसके तहत वर्ष 2010-11 में कुल राशि रु. 57.98 लाख का व्यय हुआ है ।

परिशिष्ट - 'क'

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित हेतु स्वीकृत पदों की जानकारी

अ.क्र.	पदनाम	संघ मुख्यालय के पद			वन संरक्षक एवं पदेन महाप्रबंधक			जिला यूनियन के पद			कुल योग		
		स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	प्रबंध संचालक (प्र.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
2	अपर प्रबंध संचालक (अ.मु.व.सं.)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
3	कार्यकारी संचालक (मु.वन संरक्षक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
4	महाप्रबंधक (वन संरक्षक)	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
5	उप वन संरक्षक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6	सचिव (संयुक्त पंजीयक)	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
7	प्रबंधक वित्त (उप पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
8	प्रबंधक लेखा (उप पंजीयक)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
9	उप प्रबंधक (स.व.सं.)	2	1	1	6	4	2	31	21	10	39	26	13
10	वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
11	उप वन क्षेत्रपाल	0	0	0	0	0	0	200	54	146	200	54	146
12	उप महाप्रबंधक (प्रणाली)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
13	आयुर्वेद चिकित्सक (संविदा)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
14	टेक्सानामिस्ट	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
15	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
16	डाटा एन्ट्री आपरेटर (नियमित)	7	6	1	6	6	0	32	31	1	45	43	2
17	स्टाफ आफिसर	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
18	निज सहायक/निज सचिव	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
19	वरिष्ठ शीघ्रलेखक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20	शीघ्रलेखक (नियमित वेतनमान)	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
21	सहायक लेखाधिकारी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
22	अधीक्षक	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
23	लेखा अधीक्षक	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
24	वरिष्ठ लेखापाल	5	4	1	0	0	0	0	0	0	5	4	1
25	लेखापाल	4	3	1	6	5	1	22	20	2	32	28	4
26	कनिष्ट लेखापाल	6	5	1	0	0	0	13	11	2	19	16	3
27	सहायक वर्ग-3	9	8	1	6	6	0	45	42	3	60	56	4
28	स्वागतकर्ता सहायक वर्ग-3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
29	वाहन चालक	6	5	1	0	2	-2	6	5	1	12	12	0
30	दफ्तरी	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
31	संदेशवाहक	12	11	1	12	11	1	86	81	5	110	103	7
32	चौकीदार	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
	योग :-	77	62	15	36	34	2	450	265	185	563	361	202

टीप :- कनिष्ठ लेखापाल के रिक्त पदों के विरूद्ध 12 सहायक ग्रेड-3 की नियुक्ति की गई ।

परिशिष्ट - 'ख'

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण (वास्तविक संग्रहण)

संग्रहण वर्ष : 2010

जिला यूनियन का नाम	विक्रित लाटों का विवरण			
	लाटों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
बीजापुर	28	45598.312	133002765.38	2916.84
सुकमा	41	92390.263	195846883.32	2119.78
दंतेवाड़ा	13	26603.714	54358641.27	2043.27
जगदलपुर	15	24396.906	43236481.89	1772.21
दक्षिण कोंडागांव	11	23550.088	43584050.45	1850.70
उत्तर कोंडागांव	16	29424.568	55840462.56	1897.75
नारायणपुर	12	23589.405	45403018.45	1924.72
पूर्व भानुप्रतापपुर	55	98360.475	251164869.84	2553.51
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	87822.440	167706566.64	1909.61
कांकेर	24	38580.650	94019233.46	2436.95
राजनांदगांव	51	78496.058	174944199.19	2228.70
खैरागढ़	24	35195.175	69367982.69	1970.95
दुर्ग	18	23475.970	52017801.08	2215.79
कवर्धा	24	29568.580	58007415.80	1961.79
धमतरी	23	29250.650	69522146.61	2376.77
उदन्ती	19	21033.795	50840784.28	2417.10
पूर्व रायपुर	43	52697.655	142138963.99	2697.25
महासमुंद	69	96086.380	212329139.88	2209.77
रायपुर	16	24896.910	57332654.90	2302.80
बिलासपुर	16	21591.783	43245128.28	2002.85
मरवाही	19	24269.395	53003623.13	2183.97
जांजगीर-चांपा	7	9400.640	13513730.96	1437.53
रायगढ़	41	56672.120	118732479.67	2095.08
धरमजयगढ़	53	76890.095	192436845.12	2502.75
कोरबा	34	51446.965	132502887.95	2575.52
कटघोरा	39	65827.836	164958034.85	2505.90
जशपुर नगर	20	39821.070	75024998.02	1884.05
मनेन्द्रगढ़	20	33864.341	73849572.92	2180.75
कोरिया	16	32340.245	71336860.61	2205.82
दक्षिण सरगुजा	28	65680.235	127183681.42	1936.41
पूर्व सरगुजा	29	68997.000	113349035.93	1642.81
उत्तर सरगुजा	52	117182.910	203185884.93	1733.92
कुल योग	931	1545002.629	3352986825.47	2170.21

जिला यूनियनवार अग्रिम में विक्रित लाटों का विवरण (अनुमानित मात्रा)

संग्रहण वर्ष : 2011

जिला यूनियन का नाम	कुल लाट		विक्रित लाटों का विवरण			
	लाटों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	लाटों की संख्या	मात्रा (मानक बोरा में)	विक्रय मूल्य	औसत विक्रय दर (प्रति मानक बोरा)
बीजापुर	28	44700.000	28	44700.000	152410300.00	3409.63
सुकमा	41	77900.000	41	77900.000	185260600.00	2378.18
दंतेवाड़ा	13	23500.000	13	23500.000	53212300.00	2264.35
जगदलपुर	15	25500.000	15	25500.000	52717600.00	2067.36
दक्षिण कोंडागांव	11	21600.000	11	21600.000	47689500.00	2207.85
उत्तर कोंडागांव	16	29400.000	16	29400.000	65271400.00	2220.12
नारायणपुर	12	21400.000	12	21400.000	47820600.00	2234.61
पूर्व भानुप्रतापपुर	55	99700.000	55	99700.000	302685800.00	3035.97
पश्चिम भानुप्रतापपुर	55	84300.000	55	84300.000	191950500.00	2276.99
कांकेर	24	41100.000	24	41100.000	116642600.00	2838.02
राजनांदगांव	51	87200.000	51	87200.000	225628300.00	2587.48
खैरागढ़	24	44900.000	24	44900.000	103130700.00	2296.90
दुर्ग	18	28800.000	18	28800.000	76016200.00	2639.45
कवर्धा	24	44400.000	24	44400.000	104755100.00	2359.35
धमतरी	23	32900.000	23	32900.000	92476100.00	2810.82
उदन्ती	19	24900.000	19	24900.000	73174200.00	2938.72
पूर्व रायपुर	43	65500.000	43	65500.000	218885500.00	3341.76
महासमुंद	69	101700.000	65	95900.000	262568200.00	2737.94
रायपुर	16	26900.000	16	26900.000	71729800.00	2666.54
बिलासपुर	16	24700.000	7	24700.000	59491600.00	2408.57
मरवाही	19	29300.000	28	29300.000	77633800.00	2649.62
जांजगीर-चांपा	7	10000.000	7	10000.000	18109200.00	1810.92
रायगढ़	41	63900.000	41	63900.000	163119500.00	2552.73
धरमजयगढ़	53	84000.000	53	84000.000	250847900.00	2986.28
कोरबा	34	54600.000	34	54600.000	164226500.00	3007.81
कटघोरा	39	78700.000	39	78700.000	236708500.00	3007.73
जशपुर नगर	20	36600.000	16	30800.000	70717700.00	2296.03
मनेन्द्रगढ़	20	37300.000	20	37300.000	99551400.00	2668.94
कोरिया	16	29400.000	16	29400.000	78207000.00	2660.10
दक्षिण सरगुजा	28	67100.000	28	67100.000	161734800.00	2410.35
पूर्व सरगुजा	29	71700.000	29	71700.000	146575100.00	2044.28
उत्तर सरगुजा	52	125600.000	52	125600.000	268929200.00	2141.16
कुल योग	931	1639200.000	923	1627600.000	4239877500.00	2604.99

परिशिष्ट - 'घ'

सालबीज संग्रहण वर्ष 2010 का संग्रहण एवं विक्रय

जिला यूनियन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय हेतु शेष मात्रा (क्विंटल में)
कोरिया	1	कोरिया	1500.00	0.00	0.00	0.00
मनेन्द्रगढ़	2	मनेन्द्रगढ़	5000.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर सरगुजा	3	उत्तर सरगुजा	20000.00	0.00	0.00	0.00
पूर्व सरगुजा	4	पूर्व सरगुजा	40000.00	0.00	0.00	0.00
दक्षिण सरगुजा	5	दक्षिण सरगुजा	40000.00	320.00	320.00	0.00
जशपुरनगर	6	अपरघाट	40000.00	276.45	276.45	0.00
जशपुरनगर	7	लोअरघाट	50000.00	0.00	0.00	0.00
कोरबा	8	कोरबा	20000.00	0.00	0.00	0.00
रायगढ़	9	रायगढ़	2500.00	560.95	560.95	0.00
धर्मजयगढ़	10	धर्मजयगढ़	18000.00	781.85	781.85	0.00
कटघोरा	11	कटघोरा	5000.00	0.00	0.00	0.00
बिलासपुर	12	बिलासपुर	1000.00	0.00	0.00	0.00
मरवाही	13	मरवाही	3000.00	0.00	0.00	0.00
कांकेर	14	कांकेर	3000.00	2448.49	2448.49	0.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	15	भानुप्रतापपुर	3000.00	4786.88	4786.88	0.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	16	आमाबेड़ा	5000.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	17	कोयलीबेड़ा	1000.00	80.84	80.84	0.00
उत्तर कोण्डागांव	18	बड़े राजपुर	8000.00	19918.87	19918.87	0.00
उत्तर कोण्डागांव	19	केशकाल	7000.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर कोण्डागांव	20	फरसगढ़	8000.00	0.00	0.00	0.00
उत्तर कोण्डागांव	21	बड़ेडोंगर	5000.00	0.00	0.00	0.00
दक्षिण कोण्डागांव	22	माकड़ी	3000.00	34239.96	34239.96	0.00
दक्षिण कोण्डागांव	23	कोण्डागांव	5000.00	0.00	0.00	0.00
दक्षिण कोण्डागांव	24	मुलमुला	5000.00	0.00	0.00	0.00
दक्षिण कोण्डागांव	25	मर्दापाल	2000.00	0.00	0.00	0.00
नारायणपुर	26	नारायणपुर	10000.00	1476.36	1476.36	0.00
दंतेवाडा	27	दंतेवाडा	2000.00	163.55	163.55	0.00
जगदलपुर	28	बकावंड	8000.00	64311.50	64311.50	0.00
जगदलपुर	29	कर्पावंड	5000.00	0.00	0.00	0.00
जगदलपुर	30	जगदलपुर	5000.00	0.00	0.00	0.00
जगदलपुर	31	भनपुरी	8000.00	0.00	0.00	0.00
सुकमा	32	सुकमा	2000.00	3881.08	3881.08	0.00
पूर्व रायपुर	33	पूर्व रायपुर	8000.00	151.00	151.00	0.00
उदन्ती	34	उदन्ती	5000.00	70.00	70.00	0.00
महासमुन्द	35	महासमुन्द	200.00	0.00	0.00	0.00
रायपुर	36	रायपुर	300.00	0.00	0.00	0.00
धमतरी	37	धमतरी	9000.00	932.00	932.00	0.00
कवर्धा	38	कवर्धा	1000.00	0.00	0.00	0.00
	योग		364500.00	134399.78	134399.78	0.00

परिशिष्ट - 'ड़'

हर्रा संग्रहण वर्ष 2009-2010 का विक्रय

जिला यूनियन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	संग्रहित मात्रा हर्रा (क्विंटल में)	कचरिया (क्विंटल में)	बालहर्रा (क्विंटल में)	कुल हर्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय
कांकेर	1	कांकेर	1250.000	0.000	0.000	1250.000	427.00	अग्रिम	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	533750.00	471875.00
कांकेर	2	नरहरपुर	1800.000	615.000	0.000	3337.500	423.00	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	1411762.50	1259906.25
कांकेर	3	सरोना	500.000	0.000	0.000	500.000	427.00	अग्रिम	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	213500.00	188750.00
कांकेर	4	कोरर	1694.500	0.000	0.000	1694.500	400.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	677800.00	639673.75
कांकेर	5	चरामा	1700.000	40.000	0.000	1800.000	422.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	759600.00	679500.00
उत्तर कोण्डागांव	6	फरसगांव	1000.000	0.000	0.000	1000.000	410.00	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	410000.00	377500.00
उत्तर कोण्डागांव	7	केशकाल	4194.750	0.000	0.000	4194.750	405.00	अग्रिम	मेसर्स सौरभ मार्केटिंग	1698873.75	1583518.13
दक्षिण कोण्डागांव	8	पूर्व कोण्डागांव	452.600	0.000	0.000	452.600	385.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	174251.00	170856.50
दक्षिण कोण्डागांव	9	पश्चिम कोण्डागांव	80.000	0.000	0.000	80.000	642.00	गोदामीकृत	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	51360.00	34800.00
नारायणपुर	10	उत्तर नारायणपुर	1791.500	0.000	0.000	1791.500	400.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	716600.00	676291.25
नारायणपुर	11	दक्षिण नारायणपुर	1742.750	0.000	0.000	1742.750	385.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	670958.75	657888.13
पूर्व भानुप्रतापपुर	12	भानुप्रतापपुर	4327.200	0.000	0.000	4327.200	401.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	1735207.20	1633518.00
पूर्व भानुप्रतापपुर	13	अंतागढ़	1280.850	0.000	0.000	1280.850	381.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	488003.85	483520.88
पश्चिम भानुप्रतापपुर	14	पूर्व कापसी	500.000	0.000	0.000	500.000	385.00	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	192500.00	188750.00
पश्चिम भानुप्रतापपुर	15	पश्चिम कापसी	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	385.00	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	निरंक	निरंक
जगदलपुर	16	बस्तर	750.000	0.000	0.000	750.000	662.00	गोदामीकृत	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंपनी	496500.00	326250.00
सुकमा	17	सुकमा	20.000	0.000	0.000	20.000	0.00	गोदामीकृत		0.00	8700.00
दंतेवाडा	18	दंतेवाडा	25.560	0.000	0.000	25.560	0.00	गोदामीकृत		0.00	11118.60
बीजापुर	19	बीजापुर	124.700	0.000	0.000	124.700	450.00	गोदामीकृत	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	56115.00	54244.50
रायपुर	20	रायपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00	गोदामीकृत		निरंक	निरंक
महासमुंद	21	महासमुंद	570.000	0.000	0.000	570.000	431.00	अग्रिम	मेसर्स रामफल दिनेश कुमार	245670.00	215175.00
धमतरी	22	धमतरी	1161.400	1036.840	0.000	3753.500	413.00	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	1550195.50	1416946.25
पूर्व रायपुर	23	पूर्व रायपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00	गोदामीकृत		निरंक	निरंक
उदन्ती	24	उदन्ती	5.000	0.000	0.000	5.000	0.00	गोदामीकृत		0.00	2175.00
दुर्ग	25	दुर्ग	333.500	163.000	0.000	741.000	385.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	285285.00	279727.50
कवर्धा	26	कवर्धा	0.000	26.480	0.000	66.200	381.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	25222.20	24990.50
खैरागढ़	27	खैरागढ़	50.000	0.000	0.000	50.000	501.00	अग्रिम	मेसर्स सांई ट्रेडर्स	25050.00	18875.00
राजनांदगांव	28	राजनांदगांव	1800.000	0.000	0.000	1800.000	385.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	693000.00	679500.00
मरवाही	29	मरवाही	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00	गोदामीकृत		निरंक	निरंक
कोरबा	30	कोरबा	26.150	29.960	0.000	101.050	411.00	गोदामीकृत	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	41531.55	43956.75
कटघोरा	31	कटघोरा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00	गोदामीकृत		निरंक	निरंक
रायगढ़	32	रायगढ़	49.010	62.640	0.000	205.610	501.00	गोदामीकृत	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	103010.61	89440.35
धर्मजयगढ़	33	धर्मजयगढ़	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00	गोदामीकृत		निरंक	निरंक
पूर्व सरगुजा	34	पूर्व सरगुजा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	0.00	गोदामीकृत		निरंक	निरंक
उत्तर सरगुजा	35	उत्तर सरगुजा	82.500	20.000	8.000	188.500	551.00	गोदामीकृत	मेसर्स रिज़वी हर्बल	103863.50	81997.50
दक्षिण सरगुजा	36	दक्षिण सरगुजा	178.490	38.710	5.120	311.105	551.00	गोदामीकृत	मेसर्स रिज़वी हर्बल	171418.86	135330.68
मनेन्द्रगढ़	37	मनेन्द्रगढ़	13.000	166.900	0.000	430.250	381.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	163925.25	162419.38
कोरिया	38	कोरिया	13.700	2.250	0.000	19.325	0.00	गोदामीकृत		0.00	8406.38
जशपुरनगर	39	जशपुरनगर	46.100	0.000	0.000	46.100	500.00	गोदामीकृत	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	23050.00	20053.50
योग			27563.260	2201.780	13.120	33159.550				13718004.52	12625654.75

हर्रा की अनुमानित मात्रा	33159.550
विक्रित हर्रा	33089.665
अविक्रित हर्रा	69.885

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	13718004.52
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	414.57
कुल व्यय 377.50/- एवं 435/- प्रति क्विंटल	12625654.75
शुद्ध लाभ	1092349.77
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	33.01
संग्रहण मजदूरी 375/- प्रति क्विंटल	9118876.25

परिशिष्ट - 'च'

हर्रा संग्रहण वर्ष 2010-11 का विक्रय

जिला यूनियन	इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय
कांकेर	1	कांकेर	4000	653.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	2612000	1820000
कांकेर	2	नरहरपुर	4000	628.00	अग्रिम	मेसर्स प्रवीणचन्द्र शांतिलाल एण्ड कंप	2512000	1820000
कांकेर	3	सरोना	1000	704.00	अग्रिम	मेसर्स रामफल दिनेश कुमार	704000	455000
कांकेर	4	कोरर	3000	700.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	2100000	1365000
कांकेर	5	चरामा	2500	663.00	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	1657500	1137500
उत्तर कोण्डागांव	6	फरसगांव	2000	555.00	अग्रिम	मेसर्स भारत राइस इण्डस्ट्रीज	1110000	910000
उत्तर कोण्डागांव	7	केशकाल	3000	639.00	अग्रिम	मेसर्स सौरभ मार्केटिंग	1917000	1365000
दक्षिण कोण्डागांव	8	पूर्व कोण्डागांव	3700	622.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	2301400	1683500
दक्षिण कोण्डागांव	9	पश्चिम कोण्डागांव	800	508.00	अग्रिम	मेसर्स भीखम चंद जैन	406400	364000
नारायणपुर	10	उत्तर नारायणपुर	2000	575.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	1150000	910000
नारायणपुर	11	दक्षिण नारायणपुर	2500	605.00	अग्रिम	मेसर्स अशोक ट्रेडिंग कंपनी	1512500	1137500
पूर्व भानुप्रतापपुर	12	भानुप्रतापपुर	4000	600.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	2400000	1820000
पूर्व भानुप्रतापपुर	13	अंतागढ़	2500	585.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	1462500	1137500
पश्चिम भानुप्रतापपुर	14	पूर्व कापसी	1000	567.00	अग्रिम	मेसर्स भीखम चंद जैन	567000	455000
पश्चिम भानुप्रतापपुर	15	पश्चिम कापसी	500	567.00	अग्रिम	मेसर्स भीखम चंद जैन	283500	227500
जगदलपुर	16	बस्तर	2500	543.00	अग्रिम	मेसर्स भीखम चंद जैन	1357500	1137500
सुकमा	17	सुकमा	100	0.00			0	0
दंतेवाडा	18	दंतेवाडा	100	0.00			0	0
बीजापुर	19	बीजापुर	100	551.00	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	55100	45500
रायपुर	20	रायपुर	100	0.00			0	0
महासमुंद	21	महासमुंद	1000	731.00	अग्रिम	मेसर्स रामफल दिनेश कुमार	731000	455000
धमतरी	22	धमतरी	3000	621.00	अग्रिम	मेसर्स तुलसीदास भगवानदास	1863000	1365000
पूर्व रायपुर	23	पूर्व रायपुर	200	0.00			0	0
उदन्ती	24	उदन्ती	500	0.00			0	0
दुर्ग	25	दुर्ग	500	603.00	अग्रिम	मेसर्स प्रकाश चन्द खटवानी	301500	227500
कवर्धा	26	कवर्धा	100	486.00	अग्रिम	मेसर्स एम.आर.इन्टरप्राइजेस	48600	45500
खैरागढ़	27	खैरागढ़	100	601.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	60100	45500
राजनांदगांव	28	राजनांदगांव	1500	616.00	अग्रिम	मेसर्स दोशी इन्टरप्राइजेस	924000	682500
मरवाही	29	मरवाही	250	504.00	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	126000	113750
कोरबा	30	कोरबा	200	0.00			0	0
कटघोरा	31	कटघोरा	200	527.00	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	105400	91000
रायगढ़	32	रायगढ़	100	504.00	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	50400	45500
धर्मजयगढ़	33	धर्मजयगढ़	250	0.00			0	0
पूर्व सरगुजा	34	पूर्व सरगुजा	100	504.00	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	50400	45500
उत्तर सरगुजा	35	उत्तर सरगुजा	100	0.00			0	0
दक्षिण सरगुजा	36	दक्षिण सरगुजा	250	504.00	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	126000	113750
मनेन्द्रगढ़	37	मनेन्द्रगढ़	500	504.00	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	252000	227500
कोरिया	38	कोरिया	300	504.00	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	151200	136500
जशपुरनगर	39	जशपुरनगर	500	0.00			0	0
	योग		49050				28898000	21385000

हर्रा की अनुमानित मात्रा	49050.000	संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	28898000.00
विक्रित हर्रा	47000.000	विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	614.85
अविक्रित हर्रा	2050.000	कुल व्यय 455/- एवं 516/- प्रति क्विंटल	21385000.00
		शुद्ध लाभ	7513000.00
		शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	159.85
		संग्रहण मजदूरी 450/- प्रति क्विंटल	22072500.00

परिशिष्ट - 'छ'

कुल्लू गोंद संग्रहण वर्ष 2009-10 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा (क्विंटल में)			विक्रय दर		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय
			ग्रेड - I	ग्रेड - II	योग					
1	पूर्व भानुप्रतापपुर	30.000	100.000	0.000	100.000	18100	अग्रिम	श्री कुशाल जैन	1810000.00	1705000.00
2	नारायणपुर	50.000	80.000	0.000	80.000	26300	अग्रिम	श्री कुशाल जैन	2104000.00	1364000.00
3	सुकमा	250.000	253.765	0.000	253.765	17171	अग्रिम	मेसर्स संतोष गम्स्	4357398.82	4326693.25
4	बीजापुर	250.000	896.330	0.000	896.330	17523	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	15706390.59	15282426.50
5	दंतेवाडा	100.000	419.370	0.670	420.040	17511	अग्रिम	मेसर्स संतोष गम्स्	7355320.44	7157662.00
योग			1749.465	0.670	1750.135				31333109.85	29835781.75

गोंद की अनुमानित मात्रा	1750.135
विक्रित मात्रा	1750.135
अविक्रित मात्रा	0.000

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	31333109.85
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	17903.25
कुल व्यय 17050/- एवं 11050/- प्रति क्विंटल	29835781.75
शुद्ध लाभ	1497328.10
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	855.55
संग्रहण मजदूरी 17000/- एवं 11000/- प्रति क्विंटल	29748275.00

परिशिष्ट - 'ज'

कुल्लू गोंद संग्रहण वर्ष 2010-11 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय
1	पश्चिम भानुप्रतापपुर	30.000	26371	अग्रिम	मेसर्स संतोष गम्स्	791130	610500
2	नारायणपुर	30.000	60000	अग्रिम	श्री कुशाल जैन	1800000	610500
3	सुकमा	250.000	27175	अग्रिम	मेसर्स संतोष गम्स्	6793750	5087500
4	बीजापुर	250.000	28151	अग्रिम	मेसर्स संतोष गम्स्	7037750	5087500
5	दंतेवाडा	200.000	26575	अग्रिम	मेसर्स संतोष गम्स्	5315000	4070000
	योग	760.000				21737630	15466000

गोंद की अनुमानित मात्रा	760.000
विक्रित मात्रा	760.000
अविक्रित मात्रा	0.000

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	21737630.00
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	28602.14
कुल व्यय 22100/- एवं 15100/- प्रति क्विंटल	15466000.00
शुद्ध लाभ	6271630.00
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	8252.14
संग्रहण मजदूरी 22000/- एवं 15000/- प्रति क्विंटल	15390000.00

परिशिष्ट - 'झ'

धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद संग्रहण वर्ष 2009-10 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा धावड़ा (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा खैर/बबूल (क्विंटल में)	संग्रहित मात्रा कुल गोंद (धावड़ा) (क्विंटल में)	विक्रय दर		क्रेता का नाम	संग्रहित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	संग्रहित मात्रा के आधार पर व्यय
1	सरगुजा	25.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
2	कोरिया	10.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
3	रायगढ़	50.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
4	धर्मजयगढ़	50.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
5	पेन्ड्रा	25.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
6	धमतरी	125.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
7	महासमुंद	350.000	निरंक	निरंक	निरंक				निरंक	निरंक
8	रायपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	अग्रिम	मेसर्स एच.एम.आर.हर्ब्स	निरंक	निरंक
9	पूर्व रायपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक	0			निरंक	निरंक
10	उदन्ती	20.000	निरंक	निरंक	निरंक	0			निरंक	निरंक
11	दुर्ग	100.000	6.000	10.000	12.000	3486	अग्रिम	श्री मोहम्मद जब्बार तिगाला	41832.00	34504.00
12	कवर्धा	20.000	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	अग्रिम	मेसर्स विष्णु ट्रेडिंग कम्पनी	निरंक	निरंक
13	खैरागढ़	25.000	0.000	20.000	12.000	3000	अग्रिम	मेसर्स आर.एस. फूड्स प्रोसेस (आई.) प्राय. लिमि.	36000.00	34880.00
14	राजनांदगांव	150.000	0.000	50.000	30.000	3000	अग्रिम	मेसर्स आर.एस. फूड्स प्रोसेस (आई.) प्राय. लिमि.	90000.00	87200.00
15	पश्चिम भानुप्रतापपुर	300.000	50.000	0.000	50.000	3300	अग्रिम	श्री कुशाल जैन	165000.00	142200.00
16	नारायणपुर	50.000	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	अग्रिम	श्री कुशाल जैन	निरंक	निरंक
17	जगदलपुर	10.000	10.000	0.000	10.000	5500	अग्रिम	श्री कुशाल जैन	55000.00	28440.00
18	बीजापुर	50.000	188.250	50.000	218.250	4150	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	905737.50	622583.00
19	सुकमा	100.000	100.000	100.000	160.000	3550	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	568000.00	458800.00
20	बिलासपुर	50.000	26.000	9.000	31.400	2800	अग्रिम	मेसर्स बाहुबली उद्योग	87920.00	89640.00
21	जांजगीर-चांपा	50.000	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक			निरंक	निरंक
योग		1660.000	380.250	239.000	523.650				1949489.50	1498247.00

	धावड़ा	खैर/बबूल	
गोंद की संग्रहित मात्रा	380.250	239.000	619.250
विक्रित गेंद	380.250	239.000	619.250
अविक्रित गोंद	0.000	0.000	0.000

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	1949489.50
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	3722.89
कुल व्यय 2844/- एवं 1744/- प्रति क्विंटल	1498247.00
शुद्ध लाभ	451242.50
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	861.73
संग्रहण मजदूरी 2750/- एवं 1650/- प्रति क्विंटल	1440037.50

परिशिष्ट - 'ञ'

धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद संग्रहण वर्ष 2010-11 का विक्रय

इकाई क्रमांक	इकाई का नाम	अनुमानित मात्रा (क्विंटल में)	विक्रय दर		क्रेता का नाम	अनुमानित मात्रा के आधार पर विक्रय मूल्य	अनुमानित मात्रा के आधार पर व्यय
1	सरगुजा	10	0				
2	कोरिया	10	0				
3	रायगढ़	50	0				
4	धर्मजयगढ़	10	0				
5	पेन्ड्रा	10	0				
6	धमतरी	10	0				
7	महासमुंद	50	0				
8	रायपुर	50	0				
9	पूर्व रायपुर	50	0				
10	उदन्ती	10	0				
11	दुर्ग	100	2900	अग्रिम	श्री कुशाल जैन	290000.00	216500.00
12	कवर्धा	10	0				
13	खैरागढ़	25	0				
14	राजनांदगांव	150	0				
15	पश्चिम भानुप्रतापपुर	100	4104	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	410400.00	216500.00
16	नारायणपुर	50	12911	अग्रिम	मेसर्स एन.के. ट्रेडर्स	645550.00	108250.00
17	जगदलपुर	10	12500	अग्रिम	मेसर्स रतन ट्रेडर्स	125000.00	21650.00
18	बीजापुर	50	6171	अग्रिम	मेसर्स संतोष गम्स्	308550.00	108250.00
19	सुकमा	100	5571	अग्रिम	मेसर्स संतोष गम्स्	557100.00	216500.00
20	बिलासपुर	50	0				
21	जांजगीर-चांपा	50	0				
		955				2336600.00	887650.00

अनुमानित गोंद	955.000
विक्रित गोंद	410.000
अविक्रित गोंद	545.000

संग्रहित मात्रा के आधार पर कुल विक्रय मूल्य	2336600.00
विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	5699.02
कुल व्यय 2825/- एवं 1725/- प्रति क्विंटल	887650.00
शुद्ध लाभ	1448950.00
शुद्ध लाभ प्रति क्विंटल	3534.02
संग्रहण मजदूरी 2750/- एवं 1650/- प्रति क्विंटल	1995950.00

परिशिष्ट - 'ट-1'

संग्रहण वर्ष 2008 के तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण

राशि रू. (लाख में)

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 2008		
		जिला यूनियन गणनानुसार वितरण योग्य राशि (शुद्ध लाभ का 80)	जिला यूनियन द्वारा वितरित की गई राशि	वितरण से शेष राशि (3-4)
1	2	3	4	5
1	उत्तर सरगुजा	269.63	269.63	0.00
2	पूर्वी सरगुजा	91.23	91.23	0.00
3	मनेन्द्रगढ़	142.69	142.69	0.00
4	कोरिया	139.94	139.94	0.00
5	दक्षिण सरगुजा	182.71	180.49	2.22
6	जशपुरनगर	59.19	58.28	0.91
7	धरमजयगढ़	540.71	540.71	0.00
8	रायगढ़	210.24	210.24	0.00
9	मरवाही	112.54	112.54	0.00
10	कटघोरा	531.69	528.89	2.80
11	कोरबा	362.27	362.27	0.00
12	जांजगीर चांपा	3.92	3.92	0.00
13	बिलासपुर	74.71	74.71	0.00
14	महासमुन्द	478.33	478.33	0.00
15	रायपुर	137.72	136.12	1.60
16	धमतरी	191.68	191.68	0.00
17	पूर्व रायपुर	514.42	511.82	2.59
18	उदन्ती	134.69	134.69	0.00
19	कांकेर	216.29	216.29	0.00
20	उत्तर कोण्डागांव	87.82	87.82	0.00
21	दक्षिण कोण्डागांव	43.15	41.80	1.36
22	नारायणपुर	36.31	36.31	0.00
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	624.08	624.08	0.00
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	239.20	239.20	0.00
25	सुकमा	100.59	100.59	0.00
26	बीजापुर	216.59	216.59	0.00
27	जगदलपुर	55.76	55.76	0.00
28	दंतेवाड़ा	41.07	41.07	0.00
29	दुर्ग	144.34	144.34	0.00
30	कवर्धा	116.91	116.58	0.32
31	राजनांदगांव	359.95	359.94	0.01
32	खैरागढ़	113.02	112.70	0.32
	योग	6573.40	6561.26	12.14

परिशिष्ट - 'ट-2'

संग्रहण वर्ष 2009 के तेन्दूपत्ता प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण

राशि रू. (लाख में)

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 2009		
		जिला यूनियन गणनानुसार वितरण योग्य राशि (शुद्ध लाभ का 80)	जिला यूनियन द्वारा वितरित की गई राशि	वितरण से शेष राशि (3-4)
1	2	3	4	5
1	उत्तर सरगुजा	325.58	106.56	219.02
2	पूर्वी सरगुजा	138.09	4.92	133.18
3	मनेन्द्रगढ़	255.17	101.71	153.46
4	कोरिया	194.84	21.22	173.62
5	दक्षिण सरगुजा	277.62	50.05	227.57
6	जशपुरनगर	124.35	42.09	82.26
7	धरमजयगढ़	705.63	483.01	222.62
8	रायगढ़	286.44	282.53	3.91
9	मरवाही	177.89	157.63	20.26
10	कटघोरा	608.55	282.36	326.19
11	कोरबा	442.41	430.45	11.95
12	जांजगीर चांपा	3.46	3.46	0.00
13	बिलासपुर	96.05	22.12	73.93
14	महासमुन्द	550.33	202.43	347.90
15	रायपुर	169.13	0.00	169.13
16	धमतरी	250.19	223.67	26.51
17	पूर्व रायपुर	563.73	511.82	51.90
18	उदन्ती	211.84	50.93	160.91
19	कांकेर	277.76	106.10	171.66
20	उत्तर कोण्डागांव	156.19	142.59	13.59
21	दक्षिण कोण्डागांव	120.66	87.49	33.17
22	नारायणपुर	99.02	94.18	4.84
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	861.84	771.47	90.37
24	पश्चिम भानुप्रतापपुर	392.00	392.00	0.00
25	सुकमा	385.39	138.96	246.43
26	बीजापुर	426.29	304.15	122.13
27	जगदलपुर	121.12	59.38	61.74
28	दंतेवाड़ा	133.52	123.21	10.32
29	दुर्ग	114.58	114.58	0.00
30	कवर्धा	137.79	103.33	34.46
31	राजनांदगांव	495.49	0.00	495.49
32	खैरागढ़	127.93	0.00	127.93
योग		9230.86	5414.42	3816.43

परिशिष्ट - 'ठ'

मूलभूत सुविधा हेतु वर्ष 1999+2000 से 2007 तक उपलब्ध राशि

(राशि रू. लाख में)

क्र.	जिला यूनियन का नाम	संग्रहण वर्ष 1999+2000 से 2007 तक		
		मूलभूत सुविधाओं हेतु उपलब्ध राशि (शुद्ध लाभ का 15 प्रतिशत)	जिला यूनियन द्वारा कराये गये कार्यो की राशि	जिला यूनियन द्वारा राशि के कार्य कराने के शेष (3-4)
1	2	3	4	5
1	उत्तर सरगुजा	251.98	124.53	127.44
2	पूर्व सरगुजा	59.55	18.34	41.21
3	मनेन्द्रगढ़	205.86	207.53	-1.67
4	कोरिया	175.15	131.65	43.50
5	दक्षिण सरगुजा	91.89	62.16	29.73
6	जशपुरनगर	46.51	40.91	5.61
7	धर्मजयगढ़	514.46	377.60	136.86
8	रायगढ़	274.56	231.44	43.12
9	मरवाही	132.56	112.76	19.80
10	कटघोरा	517.36	400.52	116.84
11	कोरबा	414.63	217.79	196.84
12	जांजगीर-चांपा	2.60	2.82	-0.22
13	बिलासपुर	35.42	22.03	13.40
14	महासमुन्द	530.22	407.58	122.64
15	रायपुर	202.93	135.95	66.98
16	धमतरी	267.98	165.84	102.14
17	पूर्व रायपुर	597.46	579.18	18.29
18	उदन्ती	151.19	120.17	31.02
19	कांकेर	287.34	145.30	142.04
20	उ. कोण्डागांव	113.23	74.70	38.53
21	द. कोण्डागांव	98.01	61.99	36.02
22	नारायणपुर	54.30	46.48	7.82
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	638.54	411.84	226.71
24	प. भानुप्रतापपुर	220.91	147.57	73.33
25	सुकमा	374.49	160.57	213.92
26	बीजापुर	372.61	242.32	130.30
27	जगदलपुर	67.17	45.72	21.45
28	दन्तेवाड़ा	82.91	73.93	8.98
29	दुर्ग	146.00	70.89	75.11
30	कवर्धा	146.96	46.07	100.90
31	राजनांदगांव	419.90	182.18	237.72
32	खैरागढ़	151.74	58.54	93.20
योग		7646.45	5126.89	2519.56

परिशिष्ट - 'ड'

वन एवं वनोपज का विकास हेतु जिला यूनियनवार जानकारी

(राशि रू. लाख में)

क्र.	जिला यूनियन का नाम	वन एवं वनोपज के विकास हेतु उपलब्ध राशि (शुद्ध लाभ का 15 प्रतिशत)	आहरित राशि
1	2	3	4
1	उत्तर सरगुजा	190.45	42.92
2	पूर्व सरगुजा	84.25	17.00
3	मनेन्द्रगढ़	125.32	102.88
4	कोरिया	122.59	15.00
5	दक्षिण सरगुजा	81.31	29.27
6	जशपुरनगर	59.65	12.67
7	धर्मजयगढ़	329.55	157.37
8	रायगढ़	197.46	115.85
9	मरवाही	96.11	19.00
10	कटघोरा	338.20	318.93
11	कोरबा	291.64	227.64
12	जांजगीर-चांपा	4.17	1.00
13	बिलासपुर	13.27	18.23
14	महासमुन्द	319.58	241.80
15	रायपुर	147.10	95.00
16	धमतरी	194.69	169.78
17	पूर्व रायपुर	423.70	50.83
18	उदन्ती	80.70	39.20
19	कांकेर	193.15	115.91
20	उ. कोण्डागांव	135.29	75.74
21	द. कोण्डागांव	125.46	34.42
22	नारायणपुर	42.24	32.03
23	पूर्व भानुप्रतापपुर	414.55	104.68
24	प. भानुप्रतापपुर	148.37	82.02
25	सुकमा	303.23	61.00
26	बीजापुर	325.62	168.93
27	जगदलपुर	88.58	75.14
28	दन्तेवाड़ा	75.63	50.00
29	दुर्ग	95.39	25.00
30	कवर्धा	76.47	52.43
31	राजनांदगांव	319.89	64.00
32	खैरागढ़	103.31	21.00
	योग	5546.92	2636.69

परिशिष्ट-'ढ'

वर्ष 2010 में पुरुष सदस्य को चरणपादुका प्राप्ति व वितरण की जानकारी

क्रमांक	जिला यूनियन का नाम	जिला यूनियन में उपलब्ध कराई गई चरणपादुकाओं की संख्या	वितरित चरणपादुकाओं की संख्या	वितरण हेतु शेष चरणपादुकाओं की संख्या
1	2	3	4	5
1	कोरिया	29705	29705	0
2	मनेन्द्रगढ़	26352	26352	0
3	जशपुरनगर	63051	63051	0
4	उत्तर सरगुजा	70570	70570	0
5	दक्षिण सरगुजा	54155	54155	0
6	पूर्व सरगुजा	67043	67043	0
7	बिलासपुर	20061	20061	0
8	मरवाही	29353	29353	0
9	कटघोरा	70248	70248	0
10	कोरबा	40550	40550	0
11	जांजगीर-चांपा	11718	11718	0
12	रायगढ़	54531	54531	0
13	धरमजयगढ़	53738	53738	0
14	रायपुर	29241	29241	0
15	पूर्व रायपुर	42796	42796	0
16	उदन्ती	28888	28888	0
17	धमतरी	30254	30254	0
18	महासमुंद	120637	120637	0
19	दुर्ग	30417	30417	0
20	राजनांदगांव	61327	61327	0
21	खैरागढ़	22846	22846	0
22	कवर्धा	30928	30928	0
23	कांकेर	41227	41227	0
24	पूर्व भानुप्रतापपुर	34211	34211	0
25	पश्चिम भानुप्रतापपुर	29621	29621	0
26	नारायणपुर	15483	15483	0
27	दक्षिण कोण्डागांव	46241	46241	0
28	उत्तर कोण्डागांव	41742	41742	0
29	जगदलपुर	59513	59513	0
30	दंतेवाड़ा	24410	24410	0
31	बीजापुर	37918	37918	0
32	सुकमा	57907	32466	25441
	योग	1376682	1351241	25441

विषय क्रमांक - 3

विषय : वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्रस्तावित क्रियाकलापों का अनुमोदन ।

(i) संघ में रिक्त पदों की भरती

संघ में जो भी रिक्त पद होगें उन पर भरती संबंधी कार्यवाही की जावेगी ।

(ii) जिला वनोपज जिला वनोपज के संचालक सदस्यों एवं प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के अध्यक्षों का सहकारी प्रशिक्षण ।

जिला यूनियन के निर्वाचित संचालक सदस्यों एवं प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति के अध्यक्षों को सहकारिता के अन्तर्गत अधिकार एवं कर्तव्य तथा दायित्व संबंधी ज्ञानार्जन हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के प्रशिक्षकों द्वारा विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

इस वित्तिय वर्ष में प्रशिक्षण हेतु शेष जिला यूनियन के निर्वाचित संचालक सदस्यों तथा प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों के अध्यक्षों को सहकारिता के अन्तर्गत अधिकार एवं कर्तव्य तथा दायित्व संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना प्रस्तावित है ।

(iii) तेन्दूपत्ते का व्यापार

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2010 एवं पूर्व के वर्षो के क्रेता करारनामा समाप्त लाटों का निर्वर्तन किया जावेगा तथा निर्वर्तन से प्राप्त राशि एवं प्रथम क्रेता से प्राप्त योग्य राशि के अंतर की राशि की वसूली की कार्यवाही की जावेगी ।

वर्ष 2011 तेंदू पत्ता सीजन में संग्रहित होने वाले तेंदूपत्ते के अग्रिम विक्रय हेतु 899 प्राथमिक सहकारी समितियों के तेंदू पत्ते के कुल 931 लाट बनाये गये । माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार पूर्व वर्षों की भांति इस वर्ष भी राष्ट्रीय उद्यानों एवं अभ्यारण्यों से तेन्दूपत्ता एवं अन्य लघु वनोपज संग्रहण नहीं किया जाना है, अतः इन क्षेत्रों में वर्ष 2011 में उत्पादित होने वाले तेन्दूपत्ते को विक्रय हेतु सम्मिलित नहीं किया गया है ।

प्रदेश में संग्रहण वर्ष 2011 में लगभग 16.39 लाख मानक बोरे के संग्रहण का अनुमान है । विभिन्न निविदाओं में अग्रिम नियुक्त क्रेताओं को 16.28 लाख मानक बोरा रू. 423.99 करोड़ में विक्रय किया गया है एवं औसत दर रू. 2605/- प्रति मानक बोरा है । 8 लाटों की मात्रा 0.116 लाख मानक बोरा का विक्रय शेष है । अग्रिम में विक्रित तेन्दूपत्ते से वित्तीय वर्ष 2011-12 में लगभग राशि रु. 381.59 करोड़ प्राप्त होंगे । इस वर्ष तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य में कुल रू. 131.14 करोड़ की मजदूरी के वितरण का अनुमान है । तेंदूपत्ता संग्रहण, उपचारण, परिवहन एवं गोदामीकरण के विस्तृत निर्देश प्रमुख सचिव, वन छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा समस्त कलेक्टर तथा समस्त प्रबंध संचालक, जिला यूनियन, छत्तीसगढ़ को जारी किया जा चुका हैं । इस कार्य में सभी शासकीय विभागों के कर्मचारियों/अधिकारियों की सेवाऐं ली जावेगी ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण में शासन के विभिन्न विभागों, प्राथमिक वनोपज समितियों, पंचों/सरपंचों, ग्राम वन समिति/वन सुरक्षा समिति के अध्यक्षों के द्वारा सक्रिय भूमिका अदा की जाना है ताकि अच्छी से अच्छी गुणवत्ता का पत्ता संग्रहित हो सके तथा संग्राहकों को सही समय से संग्रहण प्रारिश्रमिक प्राप्त हो सके ।

तेन्दूपत्ता संग्रहण वर्ष 2012 के अग्रिम निर्वतन की कार्यवाही भी माह दिसम्बर' 2011 से प्रारंभ किया जाना है ।

(iv) सालबीज का व्यापार

संग्रहण वर्ष 2011 के सालबीज के संग्रहण एवं विपणन का कार्य भी वर्ष 2010 की भांति संघ द्वारा शासन के अभिकर्ता के रुप में किया जावेगा । वर्ष 2011 में 4 लाख क्विंटल सालबीज उत्पादित होने का अनुमान है ।

(v) हर्रा का व्यापार

वानिकी वर्ष 2010-11 में विभिन्न जिला यूनियनों में 39 हर्रा इकाईयों में लगभग 49050 क्विंटल हर्रा का उत्पादन होना संभावित है । इन इकाईयों के अग्रिम निर्वर्तन हेतु वर्ष 2010-11 में 6 बार निविदायें आमंत्रित की जा चुकी है, जिसमें से 30 इकाईयों की अनुमानित 47000 क्विंटल मात्रा का निर्वर्तन हो चुका है । शेष अनिर्वर्तित इकाईयों में संग्रहित हर्रा, कचरिया के निर्वर्तन की कार्यवाही की जावेगी तथा अन्तिम रुप से अनिवर्तित इकाइयों में विभागीय संग्रहण कर भंडारित हर्रा का निवर्तन किया जावेगा ।

संग्रहण वर्ष 2011-12 में संग्रहित होने वाले हर्रा के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है ।

(vi) कुल्लू गोंद का व्यापार

वानिकी वर्ष 2010-11 सीजन में कुल्लू गोंद, जिसका संभावित उत्पादन लगभग 760 क्विंटल है, का अग्रिम निविदा द्वारा निर्वर्तन किया गया है । सभी 5 इकाईयों का निर्वतन किया जा चुका है । गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) की संग्रहण दर प्रथम श्रेणी के लिये रू. 22000/- प्रति क्विंटल एवं द्वितीय श्रेणी के लिये रू. 15000/- प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है । अग्रिम में नियुक्त क्रेता के द्वारा इस दर पर संग्रहण पारिश्रमिक का भुगतान संग्राहकों को किया जा रहा है । अनुमानित उत्पादन के अनुसार रु. 153.90 लाख की संग्रहण मजदूरी संग्राहकों को वितरित होने की संभावना है । विगत वर्षों में सम्पूर्ण कुल्लू गोंद का अग्रिम निर्वतन होने से किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही है तथा संग्राहकों को उचित मूल्य प्राप्त हो रहा है ।

संग्रहण वर्ष 2011-12 में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-1 (कुल्लू गोंद) के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है ।

(vii) गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) का व्यापार

वानिकी वर्ष 2010-11 सीजन में संभावित उत्पादन कुल 955 क्विंटल है । विगत वर्ष अनुसार ही गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) की इकाईयों का अग्रिम निविदा द्वारा निर्वर्तन किया जा रहा है । गोंद वर्ग-2 में से बबूल एवं खैर गोंद की संग्रहण दर रु. 1650/- प्रति क्विंटल एवं धावड़ा गोंद की संग्रहण दर रु. 2750/- प्रति क्विंटल निर्धारित है । इनमें से 6 इकाईयों की अधिसूचित मात्रा 410 क्विंटल का अग्रिम में निर्वर्तन हुआ है, जिनका विक्रय मूल्य रूपये 23.37 लाख है । शेष 15 इकाईयों की अधिसूचित मात्रा 545 क्विंटल के अग्रिम विक्रय की कार्यवाही अथवा इन लाट में संग्रहित एवं भंडारित गोंद के निवर्तन की कार्यवाही की जावेगी । अनुमानित उत्पादन के अनुसार रु. 19.96 लाख की संग्रहण मजदूरी संग्राहकों को वितरित होने की संभावना है ।

संग्रहण वर्ष 2011-12 में संग्रहित होने वाले गोंद वर्ग-2 (धावड़ा, खैर, बबूल) के अग्रिम निर्वर्तन की कार्यवाही की जानी है ।

(viii) सामाजिक सुरक्षा समूह जीवन बीमा योजना

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया के अतिरिक्त परिवार के ऐसे सदस्य, जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष है, को समूह बीमा योजना का लाभ इस वर्ष भी प्राप्त होगा ।

(ix) तेंदूपत्ता संग्राहकों हेतु जनश्री बीमा योजना

तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार के मुखिया जिनकी उम्र 18 से 59 वर्ष के है, के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम की ''जनश्री'' बीमा योजना इस वर्ष भी लागू रहेगी तथा इससे मिलने वाले सभी लाभ संग्राहक परिवार को उपलब्ध कराये जावेंगे । इस योजना से संलग्न मुखिया के 2 बच्चों की छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी इस वर्ष प्राप्त होगा ।

(x) वर्ष 2009 एवं वर्ष 2010 के तेन्दूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का वितरण

तेंदूपत्ता संग्रहण वर्ष 2009 से संबंधित प्रोत्साहन पारिश्रमिक की शेष राशि का वितरण किया जावेगा तथा वर्ष 2010 में तेंदूपत्ता के निर्वर्तन उपरांत प्राप्त आय (व्यय को छोड़कर) की राशि में से 80 प्रतिशत की राशि तेंदूपत्ता संग्राहकों को उनके द्वारा संग्रहित तेंदूपत्ता के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक वितरण किये जाने का अनुमान हैं । यह राशि लगभग रूपये 137.55 करोड़ होगी ।

(xi) मूलभूत सुविधा विकास के कार्य

तेन्दूपत्ता व्यापार से प्राप्त शुद्ध लाभ की 15 प्रतिशत राशि ग्रामों की मूलभूत सुविधाओं के विकास में उपयोग की जाती है । वर्ष 1999 से 2007 तक की राशि रु. 74.46 करोड़ जिला यूनियनों के माध्यम से प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को

उपलब्ध कराई जा चुकी हैं जिनके विरुद्ध अभी तक रु. 51.27 करोड़ के कार्य ही कराये गये हैं एवं अवशेष राशि रु. 25.20 करोड़ के कार्य प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों द्वारा इस वर्ष कराये जावेंगे ।

(xii) वन एवं वनोपज का विकास

राष्ट्रीयकृत वनोपज के व्यापार के लाभ-व्यय घटाकर प्राप्त शुद्ध लाभ के 15 प्रतिशत राशि से वन एवं वनोपज का विकास कार्य कराये जावेंगे । इस हेतु जिला यूनियनों द्वारा कराये गये कार्यों की प्रगति के आधार पर इस हेतु उपलब्ध अवशेष राशि रु. 29.10 करोड़ में से राशि उपलब्ध करायी जावेगी ।

(xiii) जिला यूनियन कार्यालयों का निरीक्षण

संघ मुख्यालय की लेखा पुस्तकों एवं जिला यूनियनों के लेखा पुस्तकों का मिलान करने हेतु संघ मुख्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जिला यूनियन कार्यालयों का निरीक्षण कर उनके कार्यालयों का लेखा मिलान, आय, व्यय, भंडार एवं स्कंध सम्बन्धी प्रविष्टियों एवं संधारित अन्य अभिलेखों का निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है ।

(xiv) चरणपादुका का वितरण

वर्ष 2011-12 में चरणपादुका प्रदाय करने हेतु आदेशित प्रदायकर्ताओं से चरणपादुका प्राप्त कर लगभग 12.50 लाख तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार की एक महिला सदस्य को एक-एक जोड़ी चप्पल वितरित किया जावेगा, तथा शासन की स्वीकृति उपरांत वर्ष 2012-13 में वितरित की जाने वाली चप्पलों के क्रय की कार्यवाही की जावेगी ।

(xv) यू.एन.डी.पी. परियोजना में उपरोक्त कंडिका में उल्लेखित जैव विविधता संवर्धन तथा रोजगार सृजन करने हेतु प्रारंभ की गयी योजना के तृतीय वर्ष

वर्ष 2011-12 के अंतर्गत अंतःस्थलीय संरक्षण, बाह्य स्थलीय सवंर्घन, समता विकास, लघु वनोपज आधारित गतिविधियों के तहत् लाख पालन, लघु वनोपज संग्रहण एवं प्रसंस्करण, माहुल पत्ता संग्रहण एवं प्रसंस्करण, कोसा पालन, चिरौंजी प्रसंस्करण, गैरवानिकी जैव विविधतता विकास के कार्य जैविक प्रमाणीकरण एवं अनुसंधान एवं विस्तार आदि कार्य के अतिरिक्त नवीन चयनित वन क्षेत्र में अंतः स्थलीय संरक्षण के कार्य किए जायेंगे ।

(xvi) आदिवासी मामले मंत्रालय भारत शासन द्वारा लघु वनोपज व्यापार हेतु प्राप्त अनुदान

आदिवासी मामले मंत्रालय भारत शासन, नई दिल्ली को वर्ष 2009-10 में रूपये 5.00 करोड़ की परियोजना भेजी गई थी । इस योजना हेतु रू. 87.00 लाख प्राप्त हुई है । उक्त राशि से गोदाम निर्माण व लघु वनोपज के उपार्जन/प्रसंस्करण का कार्य कराया जावेगा । वर्ष 2010-11 हेतु रूपये 5.00 करोड़ की परियोजना भेजी गई है ।

(xvii) आदिवासी उपयोजना राज्य शासन का अनुदान

राज्य शासन की नवीन योजनान्तर्गत लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु राशि रूपये 200.00 लाख प्राप्त हुआ है । इस राशि से वर्ष 2009-10 में माहुल पत्ता प्रसंस्करण, ईमली प्रसंस्करण, आंवला प्रसंस्करण, फार्मेसी स्थापना तथा गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना आदि कार्य किये जा रहे हैं ।

(xviii) रू. 32 करोड़ की अतिरिक्त केन्द्र सहायता

वर्ष 2008-09 में अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से रू. 32 करोड़ की एकमुश्त राशि लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु प्राप्त हुई है । छत्तीसगढ राज्य में प्रत्येक वर्ष लगभग रू. 1000/- करोड़ की लघु वनोपज का उत्पादन होता है, परंतु राज्य में प्रसंस्करण इकाईयों की संख्या बहुत कम है । इस राशि से आंवला, बेल, चिरौंजी एवं अन्य हर्बल उत्पादों का निर्माण बिलासपुर में, माहुल पत्ता, तैलीय बीज, चिरौटा के उत्पादों का निर्माण अम्बिकापुर में, महुआ बीज, महुआ फूल एवं इमली प्रसंस्करण संबंधी उत्पादों का निर्माण जगदलपुर में, लाख उत्पाद का निर्माण कांकेर में, हर्बल एवं आयुर्वेदिक औषधियों का निर्माण रायपुर एवं दुर्ग में प्रस्तावित है । इस परियोजना के अन्तर्गत सिटकॉन रायपुर से 6 Cluster का Detailed Project Report (DPR) तैयार कराया जा रहा है । इन प्रसंस्करण इकाईयों को स्थापित किये जाने हेतु भूमि आवंटन हेतु छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम तथा नया रायपुर विकास प्राधिकरण को लेख किया गया है । भूमि आवंटन उपरांत इन स्थानों पर प्रसंस्करण ईकाईयों की स्थापना की जावेगी जिससे राज्य में रोजगार एवं आय के साधनो में वृद्धि होगी तथा छ.ग. में उत्पादित कच्ची लघु वनोपजों के बाजार मूल्य में वृद्धि होगी, जिससे कि लघु वनोपज संग्राहक लाभान्वित होंगे ।

लघु वनोपज / औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं हेतु प्राप्त राशि वर्ष 2011-12 में

अ.क.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रू. लाख में)
1.	यूरोपियन कमीशन परियोजना	---
2.	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	---

(xix) यूरोपियन कमीशन परियोजना :

19.1 यूरोपियन कमीशन द्वारा स्वीकृत अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य परियोजना :

छत्तीसगढ़ में शिक्षा, स्वास्थ्य तथा वनाधारित जीविकोपार्जन की परियोजना यूरोपियन कमीशन से स्वीकृत हुए प्रस्ताव के तहत छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा संचालित किए जाने वाले अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज आधारित रोजगारोन्मुखी कार्य परियोजना वर्ष 2011-12 के तहत किए जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

19.1.1 संसाधन सर्वेक्षण :

इस घटक के अंतर्गत संसाधन सर्वेक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा ।

9.1.2 हर्बल हेल्थ केयर को बढ़ावा :

इस घटक के अंतर्गत इथनोबॉटनिकल सर्वेक्षण में प्राप्त वनौषधी योगों के आयुर्वेदिक विशेषज्ञों के दल द्वारा सत्यापन पश्चात अग्रिम अनुसंधान हेतु प्रस्तावित योगों का CCRAS, New Delhi से अनुसंधान कार्य से संबंधित कार्यवाही की जावेगी । परियोजना अंतर्गत प्रस्तावित 50 वनौषधालयों के निर्माण में से 43 वनौषधालयों की स्थापना हेतु कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है, शेष 07 वनौषधालयों का निर्माण एवं संचालन कराया जावेगा ।

19.1.3 लघु वनोपज आधारित माइक्रोइंटरप्राइजेस :

इस वर्ष परियोजना लक्ष्य प्राप्त किए जाने हेतु शेष कार्य किए जावेंगे तथा स्वीकृत 64 माइक्रोइंटरप्राइजेस की प्रगति में वृध्दि लाने का प्रयास किया जावेगा । इसके साथ ही एक काजू प्रसंस्करण की इकाई स्थापित की जावेगी ।

19.1.4 विपणन :

इस घटक के तहत पैकेजिंग में सुधार, ब्राण्ड प्रमोशन का कार्य किया जावेगा । साथ ही संजीवनी केन्द्र सुदृढ़ीकरण एवं विक्रय प्रगति बढ़ाने हेतु कार्य किए जावेंगे ।

19.1.5 अनुसंधान विस्तार, एम.आई.एस एवं प्रमाणीकरण :-

परियोजना अंतर्गत अनुसंधान एवं विस्तार हेतु तकनीकी सहायता के लिए स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित कार्यवाही की जावेगी । एम.आई.एस. से प्राप्त जानकारी के आधार पर संचालित कार्यो की समीक्षा की जावेगी । साथ ही उत्पाद के लिए प्रमाणीकरण पर कार्य किया जावेगा ।

19.1.6 क्षमता विकास :

इस घटक के तहत प्राथमिक वनोपज समिति वन समिति तथा वन अमले का सशक्तिकरण हेतु एवं हितग्राहियों के प्रशिक्षण किए जावेगें ।

(xx) लाख विकास योजना :

लाख विकास योजना हेतु राज्य शासन से बजट मद, (6854) लाख विकास योजना में प्राप्त हाने वाली राशि रू. 200.00 लाख से, लाख पालन एवं लाख प्रसंस्करण परियोजना को बढ़ावा दिया जावेगा ।

(xxi) लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना :

राज्य के वर्ष 2011-12 में चयनित जिला यूनियनों में प्रति जिला यूनियन 1000 हेक्टेयर के मान से 10 नये लोक संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना की जाकर संसाधन सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर मुख्य औषधि प्रजातियाँ चिन्हांकित कर विनाशविहीन विदोहन प्रक्रिया द्वारा उनका संग्रहण किये जाने हेतु प्रयास किया जावेगा । इस हेतु लोक संरक्षित क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों को चक्रीय राशि संबंधित समिति विकास निधि से उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रयास किये जावेंगे । विगत वर्षों में स्थापित लोक संरक्षित क्षेत्रों के रखरखाव का कार्य किया जायेगा ।

विषय क्रमांक - 4

विषय : वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिये बजट की स्वीकृति ।

वर्ष 2011-12 के लिये संघ का अनुमानित बजट निम्नानुसार प्रस्तावित है :-

अनुमानित व्यय

(अ) लघु वनोपज संग्रहण अनुमानित व्यय -

अ.क्र.	वनोपज का नाम	संग्रहण वर्ष	मात्रा	इकाई	दर (रूपयों में)	राशि (रू.लाख में)
1.	तेंदूपत्ता (अग्रिम निविदा में विक्रय)	2011	16.39	लाख मा.बो.	1125.00 प्रति मा.बोरा	18441.00
2.	सालबीज	2011	40000.00	टन	5140.00 प्रति टन	2056.00
3.	हर्रा	2010-11	735.75	टन (अग्रिम)	4550.00 प्रति टन	58.787
			490.50	टन (विभागीय)	5160.00 प्रति टन	
		2011-12	2207.25	टन (अग्रिम)	4550.00 प्रति टन	176.359
			1471.50	टन (विभागीय)	5160.00 प्रति टन	
4.	कुल्लू गोंद	2010-11	22.80	टन (श्रेणी-I)	221000.00 प्रति टन	50.388
		2011-12	39.90	टन (श्रेणी-I)	221000.00 प्रति टन	108.262
			13.30	टन (श्रेणी-II)	151000.00 प्रति टन	
5.	धावड़ा, खैर बबूल, गोंद	2010-11	15.28	टन (धावड़ा)	28440.00 प्रति टन	8.343
			22.92	टन (खैर/बबूल)	17440.00 प्रति टन	
		2011-12	22.92	टन (अग्रिम)	28250.00 प्रति टन	16.253
			34.38	टन (विभागीय)	28440.00 प्रति टन	
			योग			**20915.392**

(ब) लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं पर अनुमानित व्यय -

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रू. लाख में)
1.	यू.एन.डी.पी.परियोजना (बायोडायवर्सिटी कनसरवेशन)	75.79
2.	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	300.00
3.	लाख विकास योजना	200.00
4.	पी.पी.ए. सरकार मद	250.00
5.	पी.पी.ए.संघ मद	277.44
6.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	279.00
7.	राज्य शासन से चरणपादुका वितरण हेतु प्राप्त अनुदान	1000.00
8.	राज्य शासन से जनश्री बीमा हेतु प्राप्त अनुदान	470.00
	योग	**2852.23**

(स) कार्यालयीन व्यवस्था व्यय (लाख में)

अ. क्र.	विवरण	वर्ष 2010-11 का बजट अनुमान	दिनांक 28.02.2011 तक का वास्तविक व्यय	वर्ष 2010-11 का अनुमानित व्यय	वर्ष 2011-12 हेतु प्रस्ताव
1.	वेतन भत्ते	250.00	176.47	192.51	250.00
2.	चिकित्सा व्यय	15.00	17.66	19.26	25.00
3.	यात्रा भत्ता	12.00	8.25	9.00	12.00
4.	अन्य भत्ते/व्यय	40.00	16.73	18.25	31.00
5.	ग्रेज्युटी(उपादान)	140.00	76.66	76.66	100.00
6.	बोनस	1.00	0.71	0.71	1.00
7.	लेखन सामग्री छपाई	10.00	7.95	8.68	10.00
8.	पोस्टेज/टेलीफोन	10.00	4.97	5.42	10.00
9.	भवन किराया /बिजली	30.00	7.89	8.61	15.00
10.	विज्ञापन प्रचार/प्रसार	25.00	10.58	11.54	20.00
11.	संचालक मंडल तथा आमसभा	5.00	1.91	2.08	5.00
12.	वाहन व्यय	15.00	2.90	3.17	10.00
13.	प्रशिक्षण	28.00	0.98	1.07	20.00
14.	विविध आकस्मिक	20.00	4.03	4.40	10.00
15.	अंकेक्षण शुल्क	30.00	0.02	0.02	30.00
16.	न्यायालयीन व्यय	4.00	1.69	1.84	4.00
17.	घसारा	200.00	0.00	200.00	250.00
18.	ऋण एवं अग्रिम पर ब्याज	30.00	2.77	2.77	10.00
योग :-		**865.00**	**342.17**	**565.99**	**813.00**

(द) पूंजीगत व्यय (लाख में)

1.	स्थायी संपत्ति हेतु प्रावधान	150.00	196.46	216.46	150.00
2.	शासकीय ऋण का भुगतान	175.00	27.03	27.03	100.00
3.	अंशपूंजी क्रय	5.00	0.50	0.50	5.00
4.	वाहन खरीदी हेतु प्रावधान	40.00	14.26	14.26	40.00
5.	कार्यालयीन उपकरण एवं फर्नीचर क्रय	15.00	0.45	0.45	10.00
योग :-		**385.00**	**238.70**	**258.70**	**305.00**

अनुमानित आय

(अ) राष्ट्रीयकृत लघु वनोपज निर्वर्तन से आय

वर्ष 2011-12 में वनोपज की बिक्री से रू. 45154.791 लाख प्राप्त होने का अनुमान है, जिसका वनोपजवार विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	वनोपज का नाम	प्रस्तावित राशि (रूपये लाख में)
1.	तेंदूपत्ता	42529.044
2.	सालबीज	2200.00
3.	हर्रा	182.915
4.	कुल्लू गोंद	205.966
5.	धावड़ा,गोंद	36.866
	योग	**45154.791**

वनोपजवार आय का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
(अ)	**तेंदूपत्ता**	
1.	वर्ष 2011 सीजन (कुल संग्रहण अनुमान 16.39 लाख मानक बोरा) हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 16.39 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 2605/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय से प्राप्त विक्रय मूल्य का 90% राशि ।	38431.044
2.	वर्ष 2012 सीजन के हरे पत्ते के अग्रिम में विक्रित लाटों के संग्रहण अनुमान 16.39 लाख मानक बोरा के अनुमानित रू. 2500/- प्रति मानक बोरा की दर से विक्रय प्राप्त विक्रय मूल्य का 10% राशि	4098.000
	योग	**42529.044**
(ब)	**सालबीज**	
1.	वर्ष 2011 सीजन में अनुमानित संग्रहित मात्रा 40000 टन के रू. 5500/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	2200.000
	योग :-	**2200.000**

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
(स)	हर्रा	
1.	वर्ष 2007-08 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 0¤50 टन के रु. 1200/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.006
2.	वर्ष 2008-09 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 1.293 टन के रु. 2200/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.028
3.	वर्ष 2009-10 संग्रहणकाल की अवशेष मात्रा 6.989 टन के रु. 4500/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.315
4. क.	वर्ष 2010-11 की माह दिसम्बर 2010 में विक्रीत अधिसूचित मात्रा 10.00 टन के विक्रय मूल्य रु. 0.486 लाख का 90% राशि ।	0.437
ख.	वर्ष 2010-11 संग्रहित होने वाली मात्रा 205 टन जो संग्रहित होगी के लिये रू. 4860/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	9.963
5.	वर्ष 2011-12 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 4905 टन की 75% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रू. 5200/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	172.166
	योग :-	**182.915**
(द)	कुल्लू गोंद	
1.	वर्ष 2010-11 सीजन की वर्ष 2011-12 सीजन में संग्रहित होने वाली अवशेष मात्रा 30.4 टन के रू. 286020/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	86.950
2.	वर्ष 2011-12 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 76 टन की 60% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रू. 290000/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	119.016
	योग :-	**205.966**
(इ)	धावड़ा, गोंद	
1.	वर्ष 2002-03 की अवशेष मात्रा 0.14 टन के रू. 2200/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	0.003
2.	वर्ष 2010-11 सीजन की वर्ष 2011-12 सीजन में संग्रहित होने वाली अवशेष मात्रा 38.2 टन के रू. 29000/- प्रति टन की दर से विक्रय से प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य	11.078

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
3.	वर्ष 2011-12 सीजन की संग्रहित होने वाली मात्रा 95.5 टन की 60% मात्रा जो इस वर्ष संग्रहित होगी, के लिये रू. 50000/- प्रति टन की दर से विक्रय होने पर प्राप्ति योग्य विक्रय मूल्य का 90%	25.785
	योग :-	**36.866**
	महायोग आय :-	**42460.357**

(ब) विविध आय -

अ.क्र.	विवरण	राशि (रूपये लाख में)
1.	वनोपज व्यापार से प्राप्त विविध आय	3500.00
2.	संघ की पूंजी (शीड केपीटल) के विनियोजन से प्राप्त आय	400.00
	योग :-	**3900.00**

(स) लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास संबंधी परियोजनाओं हेतु प्राप्त राशि -

अ.क्र.	परियोजनाओं के नाम	राशि (रू. लाख में)
1.	यू.एन.डी.पी.परियोजना (बायोडायवर्सिटी कनसरवेशन)	75.79
2.	भारत सरकार के आदिवासी मामले के मंत्रालय से लघु वन उपज कार्य हेतु प्राप्त अनुदान	300.00
3.	लाख विकास योजना	200.00
4.	पी.पी.ए. सरकार मद	250.00
5.	पी.पी.ए.संघ मद	277.44
6.	स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना	279.00
7.	राज्य शासन से चरणपादुका वितरण हेतु प्राप्त अनुदान	1000.00
8.	राज्य शासन से जनश्री बीमा हेतु प्राप्त अनुदान	470.00
	योग	**2852.23**

प्रारंभिक स्कन्ध

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रूपये लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता	0.000
2.	सालबीज	0.000
3.	हर्रा	10.749
4.	कुल्लू गोंद (गोंद वर्ग-1)	86.950
5.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद (गोंद वर्ग-2)	11.081
	योग :-	**108.780**

अंतिम स्कन्ध का मूल्य

अ.क्र.	वनोपज का नाम	मूल्य (राशि रूपये लाख में)
1.	तेन्दूपत्ता	0.000
2.	सालबीज	0.000
3.	हर्रा	19..130
4.	कुल्लू गोंद (गोंद वर्ग-1)	13.224
5.	धावड़ा, खैर एवं बबूल गोंद (गोंद वर्ग-2)	2.865
	योग	**35.219**

आय एवं व्यय का संक्षिप्त विवरण

अ.क्र.	आय	राशि (रूपये लाख में)
1.	लघु वनोपज के बिक्री से आय	45154.791
2.	विविध आय	3900.000
3.	लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास के लिये प्राप्त राशि	2852.230
4.	अंतिम स्कन्ध का मूल्य	35.219
	महायोग	**51942.240**

अ.क्र.	व्यय	राशि (रूपये लाख में)
1.	कुल संग्रहण व्यय	20915.392
2.	कार्यालयीन व्यय	813.000
3.	पूंजीगत व्यय	305.000
4.	लघु वनोपज/औषधि पौधों के विकास एवं विपणन पर व्यय	2852.230
5.	प्रारंभिक स्कन्ध का मूल्य	108.780
6.	प्राथमिक समितियों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक, अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय/विक्रय, भंडारण तथा प्रसंस्करण हेतु तथा घाटे वाली समितियों के घाटे की अस्थायी प्रतिपूर्ति हेतु उपलब्ध करायी जाने वाली राशि	26547.838
	महायोग	**51542.240**

आधिक्य (लाख में)

कुल आय	**51942.240**
कुल व्यय	**51542.240**
संघ का शुद्ध लाभ	**400.000**

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर के माननीय संचालक मण्डल

निर्वाचित संचालक

- माननीय श्री मुरारीलाल सिंह, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर
- श्री एस.एस.बट्टी, उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर
- श्रीमती ब्रम्हनी चन्द्राकर, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर
- श्री आर.एन.पाण्डे, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर
- श्री पुनीत राम सिन्हा, संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ, रायपुर

नामांकित संचालक

- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग
- प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग
- प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग

पदेन संचालक

- छ.ग. शासन के निर्देश पर भारत शासन के नामांकित अधिकारीगण
- प्रभारी सचिव, छ.ग.शासन आदिम जाति कल्याण विभाग या उनका प्रतिनिधि
- पंजीयक सहकारी संस्थाऐं या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त पंजीयक स्तर से कम का न हो
- प्रबंध संचालक, छ.ग.राज्य लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ मर्यादित
- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग
- अपर मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)/मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) वन विभाग

छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित

ए-25, व्ही.आई.पी.इस्टेट, व्ही.आई.पी. क्लब के पास, खम्हारडीह, शंकर नगर, रायपुर

संघ मुख्यालय में कार्यरत अधिकारी

क्रमांक	अधिकारियों का नाम	संघ के पदनाम	विभागीय पद
1	2	3	4
1	श्री ए.के.सिंह (भा.व.से.)	प्रबंध संचालक	प्रधान मुख्य वन संरक्षक
2	श्री बी.एल.सरन (भा.व.से.)	अपर प्रबंध संचालक	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
3	श्री बी.पी.नोन्हारे (भा.व.से.)	कार्यकारी संचालक	मुख्य वन संरक्षक
4	श्री एस.के.दत्ता	उप महाप्रबंधक (प्रणाली)	-
5	श्री यू.बी.एस.राठिया	प्रबंधक (वित्त)	उप पंजीयक
6	श्री सी.एल.ठाकुर	उप प्रबंधक (लेखा)	सहायक पंजीयक
7	श्री व्ही.के.सेन्दूर	उप प्रबंधक (उत्पादन/भंडारण)	सहायक वन संरक्षक
8	श्री एस.के.सरीन	सहायक लेखा अधिकारी	अंकेक्षण अधिकारी, सह.समितियां
9	श्री के.के.धनगर	स्टॉफ ऑफिसर	-

जिला वनोपज सहकारी यूनियन मर्यादित के अध्यक्ष तथा संघ प्रतिनिधि

क्र.	जिला यूनियन का नाम	नाम	पद	पूर्ण पता	दूरभाष क्रमांक	
					कार्यालय	निवास
1.	रायपुर	श्री जयलाल डडसेना	अध्यक्ष	मु.पो.रिकोकला, व्हाया सांकरा जोंक, जिला रायपुर	2427640	93018-11955
		श्री बलभद्र सिंह ठाकुर	संघ प्रतिनिधि	ग्राम बरपानी, पो.सोनपुर व्हाया सांकरा जोंक, जिला रायपुर	2427640	93290-64321
2.	पूर्व रायपुर	श्री रज्जन लाल खरे	अध्यक्ष	ग्राम बि.नवागढ़, पो.आ. एवं तह.बि.नवागढ़, जिला रायपुर (छ.ग.)	2432095	78790-03596
		श्री रामनारायण	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट फिंगेश्वर, तह.राजिम जिला रायपुर	2432095	--
3.	उदन्ती (गरियाबंद)	श्री नरोत्तम साहू	अध्यक्ष	ग्राम बोईरगांव, पो.व तह. मैनपुर, जिला रायपुर	07706-241407	94060-48400
		श्री पुनीत राम सिन्हा	संघ प्रतिनिधि	ग्राम छेलडोगरी, पोस्ट गोहरापादर, तहसील मैनपुर, जिला रायपुर	07706-241407	99375-35652 97701-18237
4.	महासमुंद	श्री हितेश चन्द्राकर	अध्यक्ष	ग्राम + पो. खुसरूपाली, जिला-महासमुंद	07723-222084	94242-05204
		श्री रविशंकर गोड़	संघ प्रतिनिधि	ग्राम डोंगरीपाली पोस्ट छोटे लोरम जिला महासमुंद	07723-222084	97549-38307
5.	धमतरी	श्री अखिलेश प्रजापति	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट गट्टासिल्ली	07722-238371	94062-01354
		श्री आलोक सिन्हा	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट नगरी, जिला धमतरी	07722-238371	
6.	**बिलासपुर**	**श्री मनोहर सिंह राज**	**अध्यक्ष**	**ग्राम छतौना जिला बिलासपुर**	07752-26082	
		श्री तीजम सिंह मरावी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम ठरकपुर, पोस्ट खम्हरिया जिला बिलासपुर	07752-26082	97542-39341
7.	मरवाही	श्री जयराम सिंह	अध्यक्ष	ग्राम पोस्ट मझगंवा, जिला बिलासपुर	07751-297075	
		श्री दयाल सिंह यादव	संघ प्रतिनिधि	ग्राम करगीखुर्द, पोस्ट जोगीसार, जिला बिलासपुर		97005-61528
8.	रायगढ़	श्री नृपत सिंह राठिया	अध्यक्ष / संघ प्रतिनिधि	ग्राम-बैहामुड़ा, पो बैहामुड़ा, तह.घरघोड़ा	07762-224426 226047 फैक्स	93017-77396

9.	धरमजयगढ़	श्री संतराम राठिया	अध्यक्ष	ग्राम कमरई, पोस्ट सुक्कालो, तहसील लैलूंगा, जिला रायगढ़	07766-266231 266729	97523-23021
		श्रीमती मनकुवंर राठिया	संघ प्रतिनिधि	ग्राम बरतापाली, पोस्ट गेरसा, तहसील धरमजयगढ़, जिला रागयढ़	07766-266231 266729	07762-246058 93297-07482
10.	कटघोरा	श्री लीलाधर सिंह	अध्यक्ष			
		श्री अक्षय कुमार अग्रवाल	संघ प्रतिनिधि	ग्राम लखनपुर, पोस्ट सुतर्रा, तह.कटघोरा, जिला कोरबा	07815-250157 250018 (फैक्स)	
11.	कोरबा	श्री चमार सिंह	अध्यक्ष	ग्रा.पो. केरवांद्वारी, कोरबा	07759-223531 221273	
		श्री उधोराम कश्यप	संघ प्रतिनिधि	मु.सण्डैल, पो.सरगबुंदिया, जिला कोरबा	07759-223531 221273	90099-39738
12.	जाजगीर-चांपा	श्री जागेश्वरसिंह राज	अध्यक्ष	मुकाम पोस्ट देवरमाल, तह.जिला जॉजगीर-चांपा	07819-24 4622	9329508924
		श्री चुन्नीलाल साहू	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट खिसोरा, थाना बलौदा, तह. व जिला जॉजगीर- चॉपा		99811-72172
13.	दुर्ग	श्री यज्ञदत्त शर्मा	अध्यक्ष	ग्राम आमापारा, तह. बालोद, जिला दुर्ग	0788-2210268	9425561062
		श्री गंगाराम ठाकुर	संघ प्रतिनिधि	ग्राम कंजेली, तहसील बालोद, जिला दुर्ग	0788-2210268	--
14.	राजनांदगांव	श्री शत्रुधन सिंह टेकाम	अध्यक्ष	ग्राम बोरियामुकासा, पो. खड़गांव, तहसील मानपुर, जिला राजनांदगांव	07744-225059 224802	--
		श्रीमती ब्रम्हानी चंद्राकर	संघ प्रतिनिधि	ग्राम अछोली, पोस्ट आमगांव, तहसील छुरिया, जिला राजनांदगांव	07744-225059 224802	99932-93118, 07745-256050
15.	खैरागढ़	श्री मोतीराम उईके	अध्यक्ष/ संघ प्रतिनिधि	ग्राम खमपुरा, पो. बोरतालाब, तह.डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव	07820-234278	97544-20366
16.	कवर्धा	श्री सुदर्शन साहू	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट खैरबना, तह.कवर्धा, जिला कबीरधाम	07741-232328	94241-30730
		श्री पंचराम ध्रुर्वे	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट कुकदुर, तह.पण्डरिया, जिला कबीरधाम	07741-232328	94076-53051

17.	जगदलपुर	श्री रामनाथ भारती	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट घोटिया	07782-223390	94063-61885
		श्री केदारनाथ साहनी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम माड़पाल, पोस्ट कुरन्दी, जिला बस्तर	07782-223390	90098-36208
18.	दन्तेवाड़ा	श्री चैतराम अटामी	अध्यक्ष	ग्राम कसोली छिंदनार, तह.गीदम जिला दंतेवाड़ा	07856-252228	94060-75256
		रिक्त	संघ प्रतिनिधि			
19.	सुकमा	श्री करटम देवा	अध्यक्ष	ग्राम व पोस्ट पोलमपल्ली, तह.कोंटा, जिला द.ब. दंतेवाड़ा	07864-284209	94077-08736
		श्री कवासी रमेश	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट रामाराम तह.कोंटा, जिला.द.ब. दंतेवाड़ा	07864-284209	
20.	बीजापुर	श्री कुवरसिंह भज्जी	अध्यक्ष	ग्राम. केरपे, पो.करकेली, तह. भोपालपटनम, जिला बीजापुर	07853-220236	94076-44405
		श्री नीलम गनपत	संघ प्रतिनिधि	ग्राम-गुलापेटा पो.-चंदनगिरी तह. भोपालपटनम जि. -बीजापुर	07853-220236	94242-98885
21.	कांकेर	श्री विजय मण्डावी	अध्यक्ष	ग्राम+पो.उड़कुड़ा, तह. चारामा, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)	07868-222006	
		श्री सग्गे सिंह वट्टी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट धनसेरा, तह.नरहरपुर, जिला उ.ब. कांकेर	07868-222006	
22.	दक्षिण कोंडागांव	श्री तोलूराम शोरी	अध्यक्ष	ग्राम करमरी, पो.आ. जोड़ेकेरा, तह. कोंडागांव, जिला बस्तर (छ.ग.)	07786-243402	
		श्री सुकदास शार्दुल	संघ प्रतिनिधि	ग्राम गिरोला, पोस्ट गिरोला, तह.कोडागांव जिला बस्तर	07786-243402	
23.	उत्तर कोंडागांव	श्री हरिराम नाग	अध्यक्ष	ग्राम बेलगांव, पोस्ट धनोरा, तह.केशकाल, जिला बस्तर	07786-242234	91795-74460
		रिक्त	संघ प्रतिनिधि			
24.	नारायणपुर	श्री मैनुराम कुमैठी	अध्यक्ष	ग्राम-माहका, पोस्ट बिजली, जिला नारायणपुर	252253 252228	94242-76987
		रिक्त	संघ प्रतिनिधि			

25.	पश्चिम भानुप्रतापपुर	श्री सोमारू राम कुरेटी	अध्यक्ष	ग्राम माटपल्ली, पोस्ट संगम, तह.पंखाजुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर	07850-252242 07850-252367	94062-83725
		श्री दिवाकर बैरागी	संघ प्रतिनिधि	ग्राम पी.व्ही.39 पोस्ट पी.व्ही.38 तह.पखांजूर जिला उत्तर बस्तर कांकेर	07850-252242 07850-252367	9407639895
26.	पूर्व भानुप्रतापपुर	श्री रघुनाथ कुमेटी	अध्यक्ष	ग्राम-तहकाल, पो एवं तह. अंतागढ़, जिला उत्तर बस्तर, कांकेर (छ.ग.)	07850-252223 252242 (फैक्स)	
		श्री टीकम टांडिया	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट भीरागांव, तह.भानुप्रतापपुर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर,	07850-252223 252242 (फैक्स)	
27.	उत्तर सरगुजा	श्री सिंगाचंद सिंह	अध्यक्ष	ग्राम-मायापुर, पो.-चन्दौरा, तह. प्रतापपुर, जिला सरगुजा (छ.ग.)	07774-240339 241543	
		श्री कृष्ण मुरारी यादव	संघ प्रतिनिधि	ग्राम गाजर, पोस्ट रामचंदपुर, जिला सरगुजा	07774-240339 241543	
28.	दक्षिण सरगुजा	श्री संतोष सिंह	अध्यक्ष	ग्राम-सेंधोपारा (चन्द्रमेढ़ा) जिला सरगुजा (छ.ग.)	07774-241600 240400 (फैक्स)	
		श्री मुरारीलाल सिंह	संघ प्रतिनिधि	ग्राम व पोस्ट डेडरी, सूरजपुर, जिला सरगुजा	07774-241600 240400 (फैक्स)	
29.	पूर्व सरगुजा	श्री हरिकिशुन सिंह	अध्यक्ष	ग्राम-पहारपारा, पोस्ट-परसा, जिला सरगुजा (छ.ग.)	240408	
		श्री करमदेव	संघ प्रतिनिधि	ग्राम ओंकारनगर, पोस्ट महाराजगंज, जिला सरगुजा	240408	
30.	कोरिया	श्री रामनाथ सिंह कंवर	अध्यक्ष	ग्राम सरभोका, पोस्ट कुडेली, तह.बैकुंठपुर, जिला कोरिया	07836-233564	97541-23667
		श्री रूपनारायण पाण्डेय	संघ प्रतिनिधि	ग्राम मुड़ीझरिया, पोस्ट पतेरापाली, तह.बैकुंठपुर, जिला कोरिया	07836-233564	94242-53575
31.	मनेन्द्रगढ़	श्रीमती इरावती वेक	अध्यक्ष	ग्राम मनवारी पो. केल्हारी तह. मनेन्द्रगढ़, कोरिया	07771-241349	90981-45794
		रिक्त	संघ प्रतिनिधि			

32.	जशपुरनगर	श्री बजरंग राम ध्रुव	अध्यक्ष	ग्राम बरपानी, पोस्ट लुड़ेग, तह.पत्थलगांव, जिला जशपुर	07763-223224	98930-04129
		श्री रामस्वरूप यादव	संघ प्रतिनिधि	ग्राम खैरापाठ, पोस्ट कामरिया, तह.बगीचा, जिला जशपुर	07763-223224	94061-27395